



सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

खण्ड 80] प्रयागराज, शनिवार, 07 फरवरी 2026 ई० (माघ 18, 1947 शक संवत्) [संख्या 06

विषय-सूची

हर भाग के पन्ने अलग-अलग किये गये हैं, जिससे इनके अलग-अलग खण्ड बन सके।

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा	विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
सम्पूर्ण गजट का मूल्य		रु०			रु०
भाग 1— विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस	69-76	3075	भाग 5—एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तर प्रदेश	...	975
भाग 1—क— नियम, कार्य-विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया	81-100	1500	भाग 6—(क) बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किये गये या प्रस्तुत किये जाने से पहले प्रकाशित किये गये (ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट क—भारतीय संसद के ऐक्ट	...	975
भाग 1—ख (1) औद्योगिक न्यायाधिकरणों के अभिनिर्णय			भाग 7—(क) बिल, जो राज्य की धारा सभाओं में प्रस्तुत किये जाने के पहले प्रकाशित किये गये		
भाग 1—ख (2)—श्रम न्यायालयों के अभिनिर्णय			(ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट		
भाग 2—आज्ञायें, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों का उद्धरण	...	975	भाग 7—क—उत्तर प्रदेशीय धारा सभाओं के ऐक्ट भाग 7—ख—इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	...	975
भाग 3—स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़पत्र, खण्ड ग—निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा खण्ड घ—जिला पंचायत	...	975	भाग 8—नगरपालिका परिषद्, नगर पंचायत, सरकारी कागज-पत्र, दवाई हुई रुई की गाठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आँकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आँकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि	375-396	975
भाग 4— निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश	...	975	स्टोर्स-पर्वेज विभाग का क्रोड़ पत्र	...	1425

भाग 1

विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस।

राज्य कर विभाग

(स्थापना राजपत्रित-अनुभाग)

प्रोन्नति

26 दिसम्बर, 2024 ई0

सं0 स्था-2-रा0क0अ0-डी0पी0सी0-2024-25/3874/राज्य कर-उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज के पत्र-संख्या-71(3)/37/पी0/एस-1(5)/2024-25, दिनांक 12 दिसम्बर, 2024 द्वारा उपलब्ध करायी गयी संस्तुति के क्रम में, निम्न तालिका में अंकित कार्मिकों को चयन वर्ष 2024-25 के सापेक्ष कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से राज्य कर अधिकारी (वेतनमान रु0 9,300-34,800 एवं ग्रेड वेतन रु0 4,800/-, पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-8) के पद पर एतद्वारा पदोन्नति प्रदान की जाती है-

क्रमांक	ज्येष्ठता क्रमांक	कार्मिक का नाम	संवर्ग
1	2	3	4
		सर्वश्री-	
1.	75	श्री दुर्गा प्रसाद	सांख्यिकीय
2.	425	हरिशंकर शिवहरे	आशुलिपिक
3.	426	प्रेमचन्द	उक्त
4.	427	राजेश कुमार सिंह	उक्त
5.	428	विजय कुमार मौर्य	उक्त
6.	429	सत्य प्रकाश श्रीवास्तव	उक्त
7.	430	नवीन कुमार पाण्डेय	उक्त
8.	431	ध्रुव नारायण	उक्त
9.	432	सुबोध कुमार	उक्त
10.	1272	सर्वेश कुमार यादव	लिपिक
11.	1680	सरदार अहमद	उक्त
12.	1681	मकसूद अहमद	उक्त
13.	1683	अशोक कुमार आनन्द	उक्त
14.	1684	लोकेन्द्र पाल सिंह	उक्त

1	2	3	4
		सर्वश्री—	
15.	1686	नूतन शर्मा	उक्त
16.	1687	विनोद कुमार शर्मा	उक्त
17.	1688	राजेश कुमार	उक्त
18.	1689	श्रीकान्त यादव	उक्त
19.	1692	वसीम अहमद	उक्त
20.	1693	सुधीर कुमार शर्मा	उक्त
21.	1694	सुनील कुमार	उक्त
22.	1696	अतिउत्तम सिंह	उक्त
23.	1700	शर्ली सिंह	उक्त
24.	1701	प्रशान्त कुमार धवन	उक्त
25.	1704	संजीव सिंह	उक्त
26.	1705	अरुण कुमार	उक्त
27.	1707	पृथ्वी राज	उक्त
28.	1708	रितेश चतुर्वेदी	उक्त
29.	1709	चन्द्र प्रकाश	उक्त
30.	1712	जय वर्धन गौतम	उक्त
31.	1714	अमित कुमार आनन्द	उक्त
32.	1715	सुरेंद्र कुमार धूरिया	उक्त
33.	1717	संदीप कुमार श्रीवास्तव	उक्त
34.	1720	श्रीप्रकाश राना	उक्त
35.	1721	राजकुमारी	उक्त

1	2	3	4
		सर्वश्री—	
36.	1722	सीताराम	उक्त
37.	1723	राजेश कुमार	उक्त
38.	1724	अमित पाण्डेय	उक्त
39.	1725	नरेश बहादुर	उक्त

(क)— उपर्युक्त अधिकारियों की पारस्परिक ज्येष्ठता राज्य कर अधिकारी संवर्ग में यथा समय प्रचलित नियमों के अन्तर्गत निर्धारित की जायेगी।

(ख)— उक्त नव पदोन्नत अधिकारियों को सम्बन्धित जोनल अपर आयुक्त/संयुक्त आयुक्त (कार्यपालक)/उप आयुक्त (प्रशासन) राज्य कर अपने कार्यालय में वर्तमान तैनाती के स्थान पर तत्काल कार्यभार ग्रहण कराने का कष्ट करें। साथ ही उक्त नवपदोन्नत कार्मिक अग्रिम तैनाती के आदेशों तक अपने जोन के अपर आयुक्त ग्रेड-1 के निर्देशानुसार वर्तमान तैनाती के स्थान पर पूर्ववत कार्य करते रहेंगे।

(ग)— उक्त अधिकारी प्रारम्भ में दो वर्ष परीक्षा पर रहेंगे। यह अवधि यथा नियम बढ़ायी भी जा सकती है।

(घ)— उक्त संबंध में यह भी स्पष्ट किया जाता है कि उत्तर प्रदेश राज्य कर प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, लखनऊ में आधारभूत/व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु नामित किये जाने पर यदि कोई अधिकारी प्रश्नगत प्रशिक्षण में सम्मिलित नहीं होगा तो यह माना जायेगा कि वह राज्य कर अधिकारी के पद का कार्य, आवश्यक क्षमता व ज्ञान के साथ करने का इच्छुक नहीं है और उन्हें तत्काल प्रत्यावर्तित कर दिया जायेगा। आधारभूत/व्यावहारिक प्रशिक्षण, राज्य कर अधिकारी के पद के दायित्वों का दक्षता से निर्वहन किये जाने हेतु अत्यन्त आवश्यक है और इसमें नामित किसी भी अधिकारी को इससे किसी भी आधार पर न तो छूट मिलेगी न ही अगले कोर्स में भाग लेने के प्रार्थना-पत्र पर विचार किया जायेगा।

(च)— मा0 उच्च न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या-7422/2024 दिनेश सिंह व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में दिनांक 22 नवम्बर, 2024 को पारित आदेश "Any exercise for promotion and order passed therein will be subject to the further order/direction passed in this case" के समादर में प्रश्नगत चयन परिणाम मा0 न्यायालय के अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

(छ)— प्रकरण में यदि कोई प्रत्यावेदन या अन्य कोई याचिका लम्बित हो तो प्रश्नगत पदोन्नति उक्त प्रत्यावेदनों एवं याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगी।

आज्ञा से,
डॉ० नितिन बंसल,
आयुक्त।

कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग

अनुभाग-1

कार्यालय-ज्ञाप

01 अप्रैल, 2025 ई0

सं0 432/22-1-2025-107/99-चयन वर्ष-2024-25 में कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग के अन्तर्गत अधीक्षक कारागार (वेतनमान रु0 15,600-39,100 ग्रेड वेतन रु0 5,400/- यथा संशोधित वेतन मैट्रिक्स लेवल-10) के पद पर कार्यरत् निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वर्तमान तैनाती के स्थान पर ही कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से वरिष्ठ अधीक्षक कारागार श्रेणी-1 (वेतनमान रु0 15,600-39,100, ग्रेड वेतन रु0 6,600/- यथा संशोधित वेतन मैट्रिक्स लेवल-11) के पद पर प्रोन्नति प्रदान करने की एतद्द्वारा राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

क्रम सं0	अधिकारी का नाम	ज्येष्ठता क्रमांक
1	2	3
1	श्री आलोक सिंह	34

सं0 432-ए/22-1-2025-107/99-चयन वर्ष-2024-25 में कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग के अन्तर्गत अधीक्षक कारागार (वेतनमान रु0 15,600-39,100 ग्रेड वेतन रु0 5,400/- यथा संशोधित वेतन मैट्रिक्स लेवल-10) के पद पर कार्यरत् निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वर्तमान तैनाती के स्थान पर ही कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से वरिष्ठ अधीक्षक कारागार श्रेणी-1 (वेतनमान रु0 15,600-39,100, ग्रेड वेतन रु0 6,600/- यथा संशोधित वेतन मैट्रिक्स लेवल-11) के पद पर प्रोन्नति प्रदान करने की एतद्द्वारा राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

क्रम सं0	अधिकारी का नाम	ज्येष्ठता क्रमांक
1	2	3
1	श्री शशिकान्त मिश्र	35

सं0 432-बी/22-1-2025-107/99-चयन वर्ष-2024-25 में कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग के अन्तर्गत अधीक्षक कारागार (वेतनमान रु0 15,600-39,100 ग्रेड वेतन रु0 5,400/- यथा संशोधित वेतन मैट्रिक्स लेवल-10) के पद पर कार्यरत् निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वर्तमान तैनाती के स्थान पर ही कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से वरिष्ठ अधीक्षक कारागार श्रेणी-1 (वेतनमान रु0 15,600-39,100, ग्रेड वेतन रु0 6,600/- यथा संशोधित वेतन मैट्रिक्स लेवल-11) के पद पर प्रोन्नति प्रदान करने की एतद्द्वारा राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

क्रम सं0	अधिकारी का नाम	ज्येष्ठता क्रमांक
1	2	3
1	श्री राजेन्द्र कुमार जायसवाल	36

सं0 432-सी/22-1-2025-107/99—चयन वर्ष-2024-25 में कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग के अन्तर्गत अधीक्षक कारागार (वेतनमान रु0 15,600—39,100 ग्रेड वेतन रु0 5,400/- यथा संशोधित वेतन मैट्रिक्स लेवल-10) के पद पर कार्यरत् निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वर्तमान तैनाती के स्थान पर ही कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से वरिष्ठ अधीक्षक कारागार श्रेणी-1 (वेतनमान रु0 15,600—39,100, ग्रेड वेतन रु0 6,600/- यथा संशोधित वेतन मैट्रिक्स लेवल-11) के पद पर प्रोन्नति प्रदान करने की एतद्द्वारा राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

क्रम सं0	अधिकारी का नाम	ज्येष्ठता क्रमांक
1	2	3
1	श्री मिजाजी लाल	37

सं0 432-डी/22-1-2025-107/99—चयन वर्ष-2024-25 में कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग के अन्तर्गत अधीक्षक कारागार (वेतनमान रु0 15,600—39,100 ग्रेड वेतन रु0 5,400/- यथा संशोधित वेतन मैट्रिक्स लेवल-10) के पद पर कार्यरत् निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वर्तमान तैनाती के स्थान पर ही कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से वरिष्ठ अधीक्षक कारागार श्रेणी-1 (वेतनमान रु0 15,600—39,100, ग्रेड वेतन रु0 6,600/- यथा संशोधित वेतन मैट्रिक्स लेवल-11) के पद पर प्रोन्नति प्रदान करने की एतद्द्वारा राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

क्रम सं0	अधिकारी का नाम	ज्येष्ठता क्रमांक
1	2	3
1	श्री ओम प्रकाश कटियार	39

आज्ञा से,
मदन मोहन,
विशेष सचिव।

खाद्य तथा रसद विभाग

अनुभाग-1

विज्ञप्ति/नियुक्ति

14 अक्टूबर, 2024 ई0

सं0 रा-422/29-1-2024—श्री रतन कुमार शुक्ला, (ज्येष्ठता क्रमांक-119) जिला खाद्य विपणन अधिकारी, वेतन बैंड-2, रु0 9,300—34,800 (ग्रेड वेतन रु0 4,800) को नियमित चयनोंपरान्त सम्भागीय खाद्य विपणन अधिकारी वेतन बैंड-3, रु0 15,600—39,100 (ग्रेड वेतन रु0 6,600) के पद पर कार्य-भार ग्रहण करने की तिथि से पदोन्नति प्रदान किये जाने कि श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती है।

2— श्री रतन कुमार शुक्ला की तैनाती के आदेश पृथक् से निर्गत किये जायेंगे।

सं0 रा-423/29-1-2024—श्री अनुपम कुमार निगम, (ज्येष्ठता क्रमांक-121) जिला खाद्य विपणन अधिकारी वेतन बैंड-2, रु0 9,300—34,800 (ग्रेड वेतन रु0 4,800) को नियमित चयनोंपरान्त सम्भागीय खाद्य विपणन अधिकारी वेतन बैंड-3, रु0 15,600—39,100 (ग्रेड वेतन रु0 6,600) के पद पर कार्य-भार ग्रहण करने की तिथि से पदोन्नति प्रदान किये जाने कि श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती है।

2— श्री अनुपम कुमार निगम की तैनाती के आदेश पृथक् से निर्गत किये जायेंगे।

सं0 रा-424/29-1-2024—श्री राम मूर्ति वर्मा, (ज्येष्ठता क्रमांक-55) सम्भागीय खाद्य विपणन अधिकारी वेतन बैंड-3, रु0 15,600—39,100 (ग्रेड वेतन रु0 6,600) को नियमित चयनोंपरान्त सम्भागीय खाद्य नियंत्रक के पद पर वेतन बैंड-3, रु0 15,600—39,100 (ग्रेड वेतन रु0 7,600) में दिनांक 30 जून, 2023 से नोशनल पदोन्नति प्रदान करते हुए कार्य-भार ग्रहण करने की तिथि से वास्तविक पदोन्नति प्रदान किये जाने कि श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती है।

2— श्री राम मूर्ति वर्मा की तैनाती के आदेश पृथक् से निर्गत किये जायेंगे।

सं0 रा-425/29-1-2024—श्री राजेश्वर प्रताप सिंह, (ज्येष्ठता क्रमांक-117) जिला खाद्य विपणन अधिकारी वेतन बैंड-2, रु0 9,300—34,800 (ग्रेड वेतन रु0 4,800) को नियमित चयनोंपरान्त सम्भागीय खाद्य विपणन अधिकारी वेतन बैंड-3, रु0 15,600—39,100 (ग्रेड वेतन रु0 6,600) के पद पर कार्य-भार ग्रहण करने की तिथि से पदोन्नति प्रदान किये जाने कि श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती है।

2— श्री राजेश्वर प्रताप सिंह की तैनाती के आदेश पृथक् से निर्गत किये जायेंगे।

आज्ञा से,
अतुल सिंह,
विशेष-सचिव।

सहकारिता विभाग

अनुभाग-2

नियुक्ति

23 जुलाई, 2024 ई0

सं0 I/698552/49-2-2024—उ0प्र0 सहकारी समिति अधिनियम-1965 की धारा-96 के अन्तर्गत गठित उ0प्र0 सहकारी न्यायाधिकरण में उ0प्र0 सहकारी समिति नियमावली-1968 के नियम-253 में प्राविधानित व्यवस्था के अनुसार श्री अरविन्द कुमार सिंह, सेवानिवृत्त अपर आयुक्त एवं अपर निबन्धक, सहकारिता को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से सदस्य, उ0प्र0 सहकारी न्यायाधिकरण के पद पर नियुक्त करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति/आदेश प्रदान करती हैं।

2— श्री अरविन्द कुमार सिंह (जन्मतिथि 31 मई, 1964) का कार्यकाल उक्त नियमावली के नियम-255 के अन्तर्गत 06 वर्ष अथवा 66 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, इनमें से जो भी पूर्व में घटित हो, होगा।

3— श्री अरविन्द कुमार सिंह को उ0प्र0 सहकारी समिति नियमावली-1968 के नियम-254 के अनुसार वेतन एवं अन्य परिलब्धियां देय होंगी।

स्थायीकरण

02 अगस्त, 2024 ई0

सं0 919/49-2-2024-उ0प्र0 सहकारी सेवा नियमावली-1979 के नियम-24 एवं उ0प्र0 राज्य के सरकारी सेवकों की स्थायीकरण नियमावली-1991 के नियम-4 के अन्तर्गत सहकारिता विभाग, उ0प्र0 के निम्नलिखित सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित तिथि से सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक, सहकारिता के पद पर एतद्द्वारा स्थायी किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

क्रमांक	सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक, सहकारिता का नाम	सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक, सहकारिता के मौलिक पद पर योगदान की तिथि	स्थायीकरण की तिथि
1	2	3	4
1	श्री जितेन्द्र पाल सिंह	01.10.2015	30.09.2017

आज्ञा से,
राजेश कुमार सिंह,
प्रमुख सचिव।



सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 07 फरवरी, 2026 ई० (माघ 18, 1947 शक संवत्)

भाग 1-क

नियम, कार्य विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया।

कार्यालय, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग, उ०प्र० अधिसूचना

30 दिसम्बर, 2025 ई०

सं० एफ०एस०डी०ए०(मु०)/7063/2025/5418(1-7)-खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 (केन्द्रीय अधिनियम 34, वर्ष 2006) की धारा 45 एवं सहपठित खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2011 के नियम 2.1.4 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से नीचे अनुसूची के स्तम्भ-3 में, प्रत्येक के सामने उल्लिखित क्षेत्र पर स्तम्भ-2 में उल्लिखित वरिष्ठ विश्लेषक को खाद्य पदार्थों के प्रमाणीकरण हेतु अतिरिक्त कार्य-भार के आधार पर खाद्य विश्लेषक घोषित किया जाता है।

अनुसूची

क्र० सं०	नाम व पदनाम	अधिकारिता क्षेत्र
1	2	3
1	श्री भारत प्रताप सिंह, वरिष्ठ विश्लेषक (खाद्य)	सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश

आज्ञा से,
डॉ० रोशन जैकब,
आयुक्त।

FOOD SAFETY & DRUG ADMINISTRATION DEPARTMENT, U.P.**NOTIFICATION**

December 30, 2025

No-FSDA(HQ)/7063/2025/5418(1-7)—In exercise of the power under section-45 of Food Safety & Standard Act, 2006 (Central Act, of 2006) read with rule 2.1.4 of Food Safety & Standard Act, 2011 the Senior Analyst mentioned in Column-2 with Jurisdiction thereof over the area mentioned against each in Column-3 of the table below are hereby authorized to work as Food Analyst on additional charge basis for testing of food samples, with effect from date of publication of this notification in the Official Gazette-

S. No.	Name of Designation	Area of Jurisdiction
1	2	3
1	Shri Bharat Pratap Singh, Food Analyst (Food)	Whole of Uttar Pradesh

By Order,
Dr. Roshan Jacob,
Commissioner.

कार्यालय, आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ

04 अक्टूबर, 2023 ई0

सं0 33/आठ-24/2022-24—जिलाधिकारी-गाजियाबाद के पत्र संख्या-98/सात-डी0एल0आर0सी0-गाजियाबाद/2023 दिनांक 28 जुलाई, 2023 के द्वारा ग्राम-मोरटा की नाली की भूमि गाटा संख्या-720 रकबा 0.0400 हे0, गाटा संख्या-778 रकबा 0.0380 हे0 तथा ग्राम दुहाई की नाली की भूमि गाटा संख्या-292 रकबा 0.0030 हे0, गाटा संख्या-339 रकबा-0.0130 हे0 तथा चकमार्ग की भूमि गाटा संख्या-293 रकबा 0.0330 गाटा संख्या 338 रकबा 0.0440 हे0 से हरिश्चन्द्र रामकली चौरिटेबिल ट्रस्ट, गाजियाबाद की भूमि ग्राम दुहाई गाटा सं0-1289 मि0 रकबा 0.1556 हे0 के विनिमय की संस्तुति की गयी थी। पुनः जिलाधिकारी गाजियाबाद के पत्र संख्या-146/सात-डी0एल0आर0सी0-गाजियाबाद/2023 दिनांक 19.09.2023 द्वारा शासन से उत्तर प्रदेश, राजस्व सहिता 2006 की धारा-101 के अन्तर्गत विनिमय की अनुज्ञा मांगी गयी थी। तत्क्रम में शासन के पत्र सं0-912/एक-1-2023-1-1099/250/2021 दिनांक 26.9.2023 के द्वारा आरक्षित श्रेणी की भूमि के विनिमय की शक्तियां मण्डलायुक्त को प्रत्यायोजित होने के कारण प्रकरण में मण्डलायुक्त के स्तर से निर्णय लेने हेतु आवश्यक कार्यावाही करने सम्बन्धी पत्र प्रेषित किया गया।

शासन के उक्त पत्र दिनांक 29 सितम्बर, 2023 के क्रम में प्राप्त विनिमय प्रस्ताव के स्थलीय/अभिलेखीय परीक्षण कर आख्या उपलब्ध कराने हेतु नगर आयुक्त, नगर निगम गाजियाबाद, अपर आयुक्त (द्वितीय), मेरठ मण्डल, मेरठ, अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), गाजियाबाद की एक त्रिसदस्यीय समिति गठित की गयी। समिति द्वारा प्रेषित आख्या दिनांक 04.10.2023 निम्नवत् उपलब्ध करायी गयी है—

1-विनिमय हेतु प्रस्तावित सार्वजनिक उपयोग की भूमि रकबा 0.1710 हे0 एवं विनिमय में ट्रस्ट से प्राप्त होने वाली भूमि 0.1556 के मूल्यांकन का अन्तर 5.34 प्रतिशत है, तथा उक्त भूमियों के क्षेत्रफल का अन्तर 9.89 प्रतिशत है जो उत्तर प्रदेश, राजस्व संहिता की धारा-101(2) (ख) एवं (ग) में निर्धारित मानको के अनुरूप है।

2-विनिमय में प्रस्तावित नाली व चकरोड की लोक उपयोगिता समाप्त हो गयी है।

3-ग्राम सभा की नाली व चकमार्ग की भूमि ट्रस्ट की भूमि के मध्य जगह-जगह टुकड़ों में है तथा इस भूमि के बदले एक ही स्थान पर 0.1556 हे0 भूमि विनिमय के माध्यम से राज्य सरकार को प्राप्त हो रही है। जिसका भविष्य में किसी शासकीय प्रयोजन हेतु प्रयोग किया जा सकता है। नगर निगम गाजियाबाद द्वारा भी इस सम्बन्ध में अनापत्ति प्रदान की गयी है।

4-ट्रस्ट द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि जिनके मध्य उपरोक्त नाली व चकमार्ग की भूमि है, निजी विश्वविद्यालय हेतु प्रस्तावित है। संस्था से प्राप्त होने वाली भूमि ग्राम दुहाई स्थित गाटा संख्या-1289 मि0 रकबा 0.3540 हे0 भूमि में हरिशचन्द्र रामकली चौरिटेबिल ट्रस्ट, गाजियाबाद के नाम 0.1556 हे0 भूमि राजस्व अभिलेखों में दर्ज है उक्त खसरा नम्बर में सहखातेदार द्वारा विनिमय के सम्बन्ध में सहमति शपथ-पत्र प्रस्तुत किये गये हैं।

5-त्रिसदस्यीय समिति द्वारा हरिशचन्द्र रामकली चौरिटेबिल ट्रस्ट, गाजियाबाद के0एफ0-91 कविनगर गाजियाबाद के लिए प्रस्तावित भूमि के विनियमितीकरण/विनिमय प्रस्ताव अनुमोदित कर जिलाधिकारी, गाजियाबाद के माध्यम से उप जिलाधिकारी, गाजियाबाद को प्रकरण में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु आख्या संस्तुति सहित प्रेषित की गयी है।

जिलाधिकारी, गाजियाबाद द्वारा उत्तर प्रदेश, राजस्व संहिता, 2006 की धारा-101 के अन्तर्गत विनिमय की मागी गयी अनुज्ञा एवं त्रिसदस्यीय समिति द्वारा की गयी संस्तुति के क्रम में उत्तर प्रदेश, राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-8, सन् 2012) की धारा-77 की उपधारा-2 सपठित धारा-101 की उपधारा-2 के परन्तुक में प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करके हरिशचन्द्र रामकली चौरिटेबिल ट्रस्ट, गाजियाबाद की भूमि के मध्य आ रही ग्राम मोरटा तहसील व जिला-गाजियाबाद के गाटा संख्या-720, रकबा 0.0400 हे0 व गाटा संख्या-778, रकबा 0.0380 हे0 (नाली, श्रेणी-6-1) (कुल 02 नम्बरान) तथा ग्राम दुहाई, तहसील व जिला-गाजियाबाद के गाटा संख्या-292, रकबा 0.0030 हे0 व गाटा संख्या-339, रकबा 0.0130 हे0 नाली (चकमार्ग, श्रेणी-6-1) एवं गाटा संख्या-293, रकबा 0.0330 हे0 व गाटा संख्या-338, रकबा 0.0440 हे0 (चकमार्ग, श्रेणी-6-2) (कुल 04 नम्बरान) की ग्राम सभा की कुल 0.1710 हे0 (कुल 06 नम्बरान) का विनिमय ग्राम दुहाई में स्थित संस्था की भूमि गाटा संख्या-1289 मि0 क्षेत्रफल 0.1556 हे0 (सं0भू0, श्रेणी-1क), जिसका मूल्य रुपये 1,28,37,000.00 है, के विनिमय की अनुमति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती हैं—

1-उक्त भूमियों का श्रेणी परिवर्तन/विनिमय अपरिहार्य परिस्थितियों में संस्था की भूमि के मध्य आ जाने के दृष्टिगत किया जा रहा है। संस्था से आरक्षित श्रेणी की भूमि के श्रेणी परिवर्तन हेतु जिलाधिकारी, गाजियाबाद द्वारा निर्धारित सर्किल रेट का 25 प्रतिशत धनराशि शुल्क निर्धारित लेखा शीर्षक-0029-भू-राजस्व-800-अन्य प्राप्तियाँ-08-मालिकाना राजस्व-0806-प्रकीर्ण प्राप्तियाँ के नाम जमा कराया जायेगा।

2-जिलाधिकारी, गाजियाबाद द्वारा हरिशचन्द्र रामकली चौरिटेबिल ट्रस्ट, गाजियाबाद से विनिमय के माध्यम से ग्राम सभा को प्राप्त संस्था की भूमि को सार्वजनिक उपयोग के रूप में दर्ज करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी ताकि उक्त भूमि पर किसी प्रकार का अवैध कब्जा आदि न हो सके।

3-आवेदक संस्था से विनिमय से प्राप्त होने वाली भूमि गाटा संख्या-1289 मि0 का विधिक रूप से बटवारा नहीं हुआ है तथा गाटा संख्या-1289 मि0 पर राज्य सरकार का नाम भी दर्ज है। अतः उप जिलाधिकारी, गाजियाबाद

द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि विनिमय में प्राप्त होने वाली भूमि गाटा संख्या-1289 मि0 पर आवेदक संस्था का स्वामित्व निर्विवादित हो तथा आवेदक संस्था द्वारा विनिमय में दी जाने वाली भूमि पर किसी सहखातेदार की आपत्ति न हो।

4-विनिमय में दी जाने वाली भूमि एवं विनिमय में प्राप्त होने वाली भूमि के मूल्य का विवरण वर्ष 2021 में प्रभावी सर्किल रेट के आधार पर प्रस्तुत किया गया है अतः उप जिलाधिकारी द्वारा वर्तमान प्रभावी सर्किल दर के आधार पर भूमि मूल्य का निश्चय कर अग्रिम कार्यवाही करेंगे।

5-नाली आवेदक संस्था के भूमि के मध्य आने वाली नाली एवं चकरोड जिसका विनिमय प्रस्तावित किया गया है उन नाली और चकरोड का उपयोग शजरे के अनुसार जिन काश्तकारों द्वारा किया जा सकता था उनसे इस आशय की अनापत्ति प्राप्त कर लिया जाए कि उनके लिए विनिमय के लिए प्रस्तावित नाली एवं चकरोड की उपयोगिता समाप्त हो गयी है, इनकी उन्हें भविष्य में आवश्यकता नहीं होगी।

6-लोक प्रयोजन की भूमि का श्रेणी परिवर्तन तथा विनिमय का आदेश प्राप्त होने पर जिलाधिकारी गाजियाबाद द्वारा अभिलेख (खतौनी) और मानचित्र में तदनुसार संशोधन की कार्य-वाही 15 दिन में पूर्ण किया जाएगा।

7-जिलाधिकारी, गाजियाबाद कृत कार्य-वाही की पूर्ण सूचना शासन तथा आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद एवं अद्योहस्ताक्षरी को 30 दिन में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

आज्ञा से,
सेल्वा कुमारी जे0,
आयुक्त,
मेरठ मण्डल, मेरठ।

जनता के प्रयोजनार्थ भूमि नियोजन कि विज्ञप्ति कार्यालय, जिलाधिकारी, लखनऊ

**भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का
अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की अधिसूचना**

17, जनवरी, 2026

सं0 : 1407(vi)/08-अ0जि0अ0(भू0अ0) शा0सहा0परि0, लखनऊ-भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन उ0प्र0 सरकार की राय है, कि लोक निर्माण विभाग, निर्माण खण्ड-2, लखनऊ से संचालित जनपद लखनऊ में गोसाईगंज-बनी-मोहान मार्ग (राज्य मार्ग सं0-136) पर अनूपगंज में पड़ने वाले रेलवे क्रासिंग सं0-188 स्पेशल पर 04 लेन रेल उपरिगामी सेतु के निर्माण हेतु ग्राम-बलिया खेड़ा रकबा-0.944510 हे0 व ग्राम-शिवलर रकबा-0.025500 हे0 कुल रकबा-0.970010 हे0 तहसील मोहनलालगंज, जनपद लखनऊ की धारा 4 की अधिसूचना पत्र संख्या-1058/अ0जि0अ0(भू0अ0) शा0सहा0परि0, लखनऊ दिनांक:-17.06.2025 द्वारा जारी की गयी थी। परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लिमिटेड के पत्र दिनांक-09.01.2026 द्वारा कुल रकबा-0.970010 हे0 में से रकबा-0.288142 हे0 आपसी समझौते के आधार पर क्रय किया जा चुका है एवं अवशेष रकबा-0.681860 हेक्टेयर भूमि की स्थाई रूप से आवश्यकता है।

2- राज्य सामाजिक समाघात निर्धारण एजेन्सी द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन किया गया है, तथा समुचित सरकार को अपनी अनुशंसा प्रस्तुत की गयी है जिसे समुचित सरकार द्वारा दिनांक 17.06.2025 को अनुमोदित किया गया है।

3- सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश इस प्रकार है :-

लोक निर्माण विभाग, निर्माण खण्ड-2, लखनऊ से संचालित जनपद लखनऊ में गोसाईगंज-बनी-मोहानमार्ग (राज्य मार्ग सं0-136) पर अनूपगंज में पड़ने वाले रेलवे क्रासिंग सं0-188 स्पेशल पर 04 लेन रेल उपरिगामी सेतु के निर्माण हेतु ग्राम-बलिया खेड़ा व ग्राम-शिवलर, तहसील-मोहनलालगंज, जनपद-लखनऊ में प्रस्तावित भूमिअर्जन/अधिग्रहण किया जाना जनहित में है और इस से लोक प्रयोजन की पूर्ति, सामाजिक लाभ व सामाजिक कल्याण के उद्देश्य की पूर्ति होती है।

भूमि के अधिग्रहण से होने वाला सम्भावित लाभ प्रतिकूल सामाजिक समाघात की तुलना से अधिक है।

4- भूमि अर्जन में विस्थापन की सम्भावना नहीं है।

5- अतः राज्यपाल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निम्नलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को सामान्य सूचना हेतु अधिसूचित करने के लिए सहर्ष सहमति देते हैं।

अनुसूची

क्रमांक	जिला	तहसील	ग्राम का नाम	गाटा संख्या	अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
					हेक्टर
01	लखनऊ	मोहनलालगंज	बलिया खेड़ा	279	0.01251
02				270	0.02005
03				272	0.00800
04				235	0.03731
05				230	0.00810
06				118	0.01600
07				115	0.02860
08				106	0.01150
09				105	0.02149
10				70	0.00900
11				71	0.02261
12				97	0.00882
13				104	0.01400

1	2	3	4	5	6
					हेक्टर
14				287	0.04300
15				288	0.00500
16				291	0.03800
17				285	0.05040
18				284	0.01300
19				369	0.08480
20				371	0.03520
21				383	0.00900
22				384	0.02400
23				385	0.07560
24				386	0.02700
25				388	0.03493
				योग ...	0.657920
01			शिवलर	138(1/2), 138(1/1)	0.023940
				योग ...	0.023940
				कुल योग ...	0.681860

6— अधिनियम की धारा 12 के अन्तर्गत निर्दिष्ट एवं प्राविधानित भूमि अधिग्रहण के प्रयोजन हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने के लिए तथा भूमि का सर्वेक्षण, किसी भूमि के लिए समतलीकरण, खुदाई करने तथा कार्य के समुचित क्रियान्वयन हेतु सभी आवश्यक क्रियायें करने के लिए राज्यपाल कलेक्टर को प्राधिकृत करने हेतु निर्देश देते हैं।

7— अधिनियम की धारा 15 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति, जिसका हितभूमि में निहित हो, अधिसूचना के प्रकाशन के 60 दिन के अन्दर अपने क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण के विरुद्ध लिखित रूप से कलेक्टर को आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

8— अधिनियम की धारा 11 (4) के अन्तर्गत कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण होने तक कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रारम्भिक अधिसूचना में निर्दिष्ट भूमि का सव्यवहार यथाविक्रय/क्रय या उस भूमि में कोई भार उत्पन्न नहीं कर सकता है।

टिप्पणी :- उक्त भूमि का स्थलीय नक्शा अपर जिलाधिकारी(भू0अ0) शारदा सहायक परियोजना, कक्ष सं0-40, कलेक्ट्रेट, लखनऊ स्थित कार्यालय में देखा जा सकता है।

विशाख जी,
जिलाधिकारी,
लखनऊ।

कार्यालय, जिलाधिकारी, बहराइच

भूमि अर्जन अधिनियम की धारा-11 की उपधारा-1 के अन्तर्गत प्रारम्भिक अधिसूचना अधिसूचना

19 जनवरी, 2026 ई0

सं0 744/वि0भू0अ0अ0-बहराइच-भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम-2013 की धारा-11 की उपधारा-1 के अधीन उत्तर प्रदेश सरकार/कलेक्टर (समुचित सरकार के उद्देश्य हेतु) राय है, कि अधिशासी अभियन्ता, निर्माण-1, लोक निर्माण विभाग, बहराइच के माध्यम से सार्वजनिक प्रयोजन जनपद बहराइच में लखनऊ-बहराइच मार्ग से बहराइच-गोण्डा मार्ग बहराइच बाईपास के निर्माण हेतु ग्राम-टेडवा बसन्तपुर तहसील-महसी पिपरिया महिपाल सिंह, गौरिया, सेहरिया, बैकुण्ठा, गोकुलपुर, मसीहाबाद, खलीलपुर तहसील बहराइच जनपद बहराइच में रकबा 26.7989 हे0 भूमि की आवश्यकता है।

2— राज्य सामाजिक समाघात निर्धारण एजेन्सी द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन किया गया है तथा समुचित सरकार (कलेक्टर बहराइच) को अपनी अनुशंसा प्रस्तुत की गयी है। जिसे कलेक्टर बहराइच द्वारा दिनांक 09.12.2025 को अनुमोदित किया गया है।

3— सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश इस प्रकार है—

“ई0एन0वी0 डेवलपमेण्टल असिस्टेंस सिस्टम्स(I) प्रा0लि0, सी0-363, इंदिरा नगर, लखनऊ” द्वारा भूमि अधिग्रहण से प्रभावित परिवारों की सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक स्थिति पर पड़ने वाले प्रभावों एवं उससे होने वाले दुष्प्रभावों का अभिज्ञान कर इन प्रभावों को कम से कम करने का सुझाव देने के आशय से किया गया है। अध्ययन पद्धति में भूमि अधिग्रहण से प्रभावित ग्रामों में भूस्वामियों से साक्षात्कार के आधार पर सामाजिक आर्थिक एवं सांस्कृतिक स्थिति ज्ञात करने का प्रयास किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रभावित ग्राम के सम्बन्ध में विभिन्न स्तरों यथा ग्राम पंचायत तहसील स्तर से आकड़े प्राप्त किये गये हैं। परियोजना के निर्माण से सम्बन्धित विभिन्न हितधारकों से भी विचार विमर्श कर वांछित जानकारी प्राप्त कर सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन पूर्ण किया गया है। परियोजना हेतु प्रस्तावित ग्राम-टेडवा बसन्तपुर तहसील-महसी पिपरिया महिपाल सिंह, गौरिया, सेहरिया, बैकुण्ठा, गोकुलपुर, मसीहाबाद, खलीलपुर तहसील बहराइच जनपद बहराइच में रकबा 26.7989 हे0 भूमि अधिग्रहण भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम-2013 (अधिनियम संख्या-30 सन् 2013) में प्रदत्त व्यवस्था के अनुसार किया जाना है।

बहराइच बाईपास, गोंडा-बहराइच मार्ग पर खलीलपुर से निकलकर टेडवा बसन्तपुर के पास बहराइच-लखनऊ मार्ग को जोड़ेगा। इस महत्वाकांक्षी बाईपास परियोजना के बनने से जहाँ शहर को जाम की समस्या से राहत मिलेगी, वहीं लखनऊ एवं गोंडा जाने वाले लोगों को बहराइच शहर नहीं जाना पड़ेगा।

इस परियोजना से शहर और उसके निवासियों के साथ-साथ बहराइच आने वाले पर्यटकों/यात्रियों को सीधा लाभ मिलेगा। लखनऊ अथवा गोण्डा से आने वाले पर्यटक सीधे महाराजा सुहेलदेव स्मारक तक पहुँच सकेंगे उन्हें शहर में प्रवेश की आवश्यकता नहीं होगी। इस परियोजना का सर्वाधिक लाभ उन निवासियों को प्राप्त होगा जिस क्षेत्र से बाईपास का निर्माण प्रस्तावित है। सम्प्रति जहाँ जलभराव के कारण वर्ष में एक बार कृषि हो रही है, वहाँ भविष्य में शहर बस सकता है।

इसके विस्तार से निम्न क्षेत्रों जैसे आर्थिक विकास, रोजगार सृजन, पर्यटन को बढ़ावा, कनेक्टिविटी, आपातकालीन प्रतिक्रिया आदि में निश्चित रूप से लाभ होंगे साथ ही परियोजना के निर्माण से संभावित सकारात्मक प्रभावों में से कुछ निम्नानुसार इस प्रकार हो सकते हैं—

- 1— बेहतर पहुँच— बहराइच लखनऊ मार्ग से बहराइच गोण्डा मार्ग तक पहुँच में सुधार।
- 2— समय और लागत की बचत— इस परियोजना से स्थानीय एवं बाहरी यात्रियों के समय और धन दोनों की बचत होगी।
- 3— सड़क मार्ग से यातायात में कमी— शहर में यातायात की भीड़भाड़ कम होगी।
- 4— बहुमुखी परियोजना— यात्रियों और समान/माल दोनों से जुड़े वाहनों के लिए उपयोगी।
- 5— सामर्थ्य— राज्य सरकार द्वारा निर्माण एवं संचालन।

उपरोक्त अधिग्रहण में भूमि के न्यूनतम से न्यूनतम भाग का अधिग्रहण किया जा रहा है। रिपोर्ट में परियोजना के संभावित नकारात्मक और सकारात्मक प्रभावों के बारे में विस्तार से बताने का प्रयास किया गया है। परियोजना किसी भी प्रकार की हो और कितनी ही लाभदायक क्यों न हो उसका प्रभावित आबादी पर कुछ न कुछ नकारात्मक प्रभाव अवश्य पड़ता है, जिसे यथासंभव कम से कम किया जाना चाहिए जिसको लेकर एजेंसी द्वारा तर्क संगत सुझाव दिये गये हैं।

जहाँ तक सकारात्मक प्रभावों का सवाल है, क्षेत्र के विकास और स्थानीय समस्त निवासियों के आर्थिक एवं सामाजिक विकास में उपरोक्त परियोजना एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी साथ ही सड़क यातायात के क्षेत्र में तथा ग्रामीण स्तर पर कृषि के क्षेत्र में सुगमता प्रदान करेगा।

विशेषज्ञ समूह के सदस्यों द्वारा प्रभावित क्षेत्र में जाकर प्रभावित परिवारों के साथ बैठक कर विस्तृत वार्तालाप/साक्षात्कार किया गया। प्रभावित परिवारों द्वारा परियोजना के सम्बन्ध में कतिपय तात्कालिक समस्याओं (कुछ परिवारों का भूमिहीन होना, विगत कई वर्षों से सर्किल रेट का बढ़ाया न जाना, आवासीय भूमि के आधार पर कृषि भूमि का मुआवजा मिलने के अतिरिक्त किसी अन्य प्रतिकूल प्रभाव का उल्लेखन न करते हुए परियोजना के लिए भूमि देने पर अपनी सहमति स्वीकार की।

बहुशाखीय विशेषज्ञ समूह के सदस्यों का सामाजिक समाघात आंकलन रिपोर्ट के अवलोकन के उपरान्त अर्जन की जाने वाली भूमि की अनिवार्यता/उपयोगिता एवं आवश्यकता के संदर्भ अभिमत निम्नवत हैं—

1— जनपद-बहराइच में 11.777 किमी प्रस्तावित बहराइच बाईपास निर्माण की प्रक्रिया में शामिल आठ गांवों की कुल 26.7989 हे0 भूमि का अर्जन/अधिग्रहण किया जाना जनहित में है।

2— जनपद-बहराइच में उक्त परियोजना प्रदेश सरकार के स्वामित्व की परियोजनाओं में एक महत्वपूर्ण परियोजना है इसके निर्माण एवं परिचालन का क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका होगी।

3— यह परियोजना जनपद के महत्व की है क्योंकि इसका निर्माण मौजूदा सड़क परिवहन प्रणाली को नया आयाम देने के साथ-साथ क्षेत्र के समग्र आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका होगी।

4— अधिग्रहण की भूमि में कुछ परिवारों के अनुसार उनके आवास/दुकान बने हैं। परंतु अर्जन निकाय लोक निर्माण विभाग के प्रतिनिधि के अनुसार अधिग्रहण प्रक्रिया में कुछ अस्थायी निर्माण प्रभावित हो रहे हैं परंतु स्थाई निर्माण आवास/दुकान कोई भी प्रभावित नहीं हो रहा है। अतः बहुशाखीय विशेषज्ञ समिति द्वारा किसी भी परिवार के विस्थापन की सिफारिश नहीं की गयी है।

5— समिति ने पाया है कि प्रभावित भूमि का अधिकांश हिस्सा आबादी के नजदीक एवं राष्ट्रीय/राज्य मार्ग से जुड़ा हुआ है।

6— भूमि अधिग्रहण प्रभाव आकलन में प्राप्त सुझाओं के अनुरूप होना चाहिए न कि इसके विपरीत।

7— संपत्ति, संसाधन निधि आदि के मूल्यांकन में वर्तमान बाजार स्थितियों को यथा संभव ध्यान में रखा जाना चाहिए और जबरन अधिग्रहण के मामलों में नियमों में ढील दी जानी चाहिए।

8— भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम-2013 के अनुपालन हेतु उपरोक्त अधिग्रहण में भूमि के न्यूनतम से न्यूनतम भाग का अधिग्रहण किया जा रहा है।

4— भूमि अर्जन के कारण कोई परिवार विस्थापित नहीं हो रहा है।

बहुशाखीय विशेषज्ञ समिति द्वारा प्रभावित लोगों की जायज मांगों के अनुरूप भूमि अधिग्रहण किये जाने की संस्तुति की गयी है।

5— अतः राज्यपाल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निम्नलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को सामान्य सूचना हेतु अधिसूचित करने के लिए सहर्ष सहमति देती हैं—

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भूखण्ड सं०	अर्जित किये जाने वाला क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
					हेक्टेयर
बहराइच	बहराइच	बहराइच	खलीलपुर	886	0.0897
				490	0.1863
				489	0.0011
				475	0.3019
				413	0.0932

1	2	3	4	5	6
					हेक्टेयर
बहराइच	बहराइच	बहराइच	खलीलपुर	411	0.0232
				412	0.0844
				410	0.0970
				409	0.0632
				408	0.0390
				393	0.0109
				344	0.0126
				341	0.0107
				348	0.0070
				352	0.0099
				351	0.1387
				349	0.0151
				350	0.0540
				353	0.0157
				346	0.0055
				340	0.0448
				339	0.0527
				313	0.0502
				319	0.1223
				315	0.0286
				314	0.0200
				316	0.0670
				311	0.0093
				312	0.0125
				405	0.0062

1	2	3	4	5	6
					हेक्टेयर
बहराइच	बहराइच	बहराइच	खलीलपुर	473	0.0874
				474	0.0133
				345	0.0090
				कुल	1.7824
"	"	"	मसीहाबाद	1308	0.1739
				1303	0.0738
				1281	0.0001
				1282	0.0272
				1246	0.1310
				1248	0.0183
				1247	0.0331
				1249	0.0313
				1250	0.1074
				1251	0.0048
				1253	0.0010
				1168	0.0058
				1165	0.0542
				1234	0.1067
				1302	0.1094
				कुल	0.8780
"	"	"	गोकुलपुर	467	0.0297
				494	0.1215
				496	0.1560
				495	0.1765
				416	0.0200
				425	0.5494
				382	0.2996

1	2	3	4	5	6
					हेक्टेयर
बहराइच	बहराइच	हिसामपुर	गोकुलपुर	390	0.0977
				386	0.0646
				385	0.0626
				384	0.0609
				383	0.0985
				108	0.1465
				109	0.1125
				111	0.0156
				110	0.0210
				122	0.0370
				121	0.0518
				120	0.0315
				119	0.1106
				126	0.0103
				129	0.2175
				137	0.0044
				143	0.0067
				221	0.0037
				159	0.0160
				216	0.2266
				184	0.1532
				185	0.0100
				213	0.0194
				214	0.1661
				233	0.0031
				224	0.0008
				223	0.2003
				222	0.2230
				228	0.0848

1	2	3	4	5	6
					हेक्टेयर
बहराइच	बहराइच	हिसामपुर	गोकुलपुर	142	0.1027
				138	0.0864
				141	0.0011
				152	0.1027
				132	0.3230
				215	0.1211
				422	0.0424
				421	0.0731
				423	0.0032
					कुल 4.4651
"	"	"	बैकुन्ठा	36	0.1126
				46	0.3917
				47	0.0199
				158	0.1922
				152	0.1277
				149	0.2689
				145	0.0854
				119	0.1334
				127	0.1222
				128	0.0141
				129	0.0552
				130	0.0788
				155	0.1905
				148	0.0162
					कुल 1.8088
"	"	"	सेहरिया	51	0.0776
				39	0.1354
				41	0.0733
				42	0.0326

1	2	3	4	5	6
					हेक्टेयर
बहराइच	बहराइच	हिसामपुर	सेहरिया	38	0.0594
				25	0.012
				8	0.1712
				11	0.0018
				12	0.1177
				22	0.0001
				28	0.0994
				20	0.1077
				29	0.0062
				13	0.0165
				36	0.0007
				14	0.0267
				15	0.0316
				16	0.0125
				17	0.0197
				19	0.0076
				18	0.0193
				27	0.0560
					कुल 1.0850
"	"	"	गौरिया	128	0.0139
				90	0.0170
				129	0.1194
				111	0.2165
				126	0.0104
				113	0.0346
				116	0.0913
				127	0.1534
				115	0.0098
				112	0.0486
				105	0.0205

1	2	3	4	5	6
					हेक्टेयर
बहराइच	बहराइच	हिसामपुर	गौरिया	103	0.0976
				61	0.1391
				73 / 877	0.0083
				75	0.0041
				62	0.3285
				81	0.1772
				73	0.3589
				70	0.0602
				71	0.0031
				79	0.0529
				80	0.1069
				256	0.0103
				261	0.0948
				264	0.0443
				463	0.0181
				252	0.5356
				253	0.0910
				466	0.0595
				467	0.9300
				468	0.2525
				469	0.0690
				470	0.0011
				770	0.0822
				769	0.0917
				768	0.1053
				762	0.3530
				772	0.0734
				797	0.0285
				795	0.1572
				806	0.0079

1	2	3	4	5	6
					हेक्टेयर
बहराइच	बहराइच	हिसामपुर	गौरिया	808	0.1503
				804	0.7243
				801	0.1186
				800	0.2563
				104	0.0177
				251	0.0158
				487	0.0345
					कुल 6.3951
"	"	"	पिपरिया महिपाल सिंह	922	0.0950
				927	0.0042
				926	0.0438
				677	0.2447
				678	0.1249
				679	0.0711
				676	0.1437
				1094	0.1691
				1100	0.0283
				1093	0.0293
				1091	0.3754
				1120	0.0597
				1106	0.0090
				1101	0.0356
				1112	0.1045
				1108	0.0089
				1109	0.0759
				1107	0.0622
				641	0.1608
				639	0.1015
				663	0.0940

1	2	3	4	5	6
					हेक्टेयर
बहराइच	बहराइच	हिसामपुर	पिपरिया महिपाल सिंह	660	0.0329
				661	0.1662
				644	0.0194
				562	0.2444
				322	0.1083
				606	0.0548
				645	0.1564
				318	0.0009
				321	0.1616
				319	0.1593
				607 / 1594	0.0392
				607	0.0938
				609	0.0008
				604	0.1374
				603	0.1455
				598	0.1546
				601	0.1009
				597	0.0137
				1235	0.0836
				1236	0.0408
				1237	0.0302
				1238	0.0236
				595	0.0264
				594	0.1086
				592	0.1368
				591	0.0012
				590	0.1511
				585	0.0471
				587	0.0469
				586	0.0495

1	2	3	4	5	6
					हेक्टेयर
बहराइच	बहराइच	हिसामपुर	पिपरिया महिपाल सिंह	588	0.0985
				552	0.0674
				560	0.0215
				566	0.0620
				920	0.0331
				921	0.0615
				1114	0.0494
				1118	0.0514
				1119	0.0506
				608	0.0453
				565	0.0089
				1113	0.0200
				928	0.0742
				889	0.1068
				923	0.0059
				01(River)	0.0655
				890	0.1210
				709	0.4490
				925	0.2136
				680	0.0075
				564	0.0020
				563	0.0030
					कुल 6.1956
„	महसी	फखरपुर	टेडवा बसन्तपुर	272	0.0234
				277	0.0912
				274	0.5219
				279	0.2890
				282	0.1011
				757	0.5743
				278	1.3021

1	2	3	4	5	6
					हेक्टेयर
बहराइच	महसी	फखरपुर	टेडवा बसन्तपुर	505	0.0891
				502	0.0524
				507	0.0004
				508	0.0282
				504	0.0271
				513	0.0449
				514	0.0297
				759	0.0011
				760	0.1329
				761	0.0467
				824	0.1359
				819	0.1148
				812	0.0206
				813	0.0018
				811	0.1088
				800	0.0624
				799	0.0368
				798	0.0175
				818	0.0781
				273	0.0065
				808	0.0713
				809	0.0811
				810	0.0978
				योग..	4.1889
				कुल योग..	26.7989 हे0

6— अधिनियम की धारा-12 के अन्तर्गत निर्दिष्ट एवं प्राविधानित भूमि अधिग्रहण के प्रयोजन हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने के लिए भूमि का सर्वेक्षण, किसी भूमि का समतलीकरण, खुदाई करने तथा कार्य के समुचित क्रियान्वयन हेतु सभी आवश्यक क्रिया करने के लिए राज्यपाल कलेक्टर प्राधिकृत करने हेतु निदेश देती है।

7— अधिनियम की धारा-15 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति जिसका हित भूमि में निहित हो अधिसूचना के प्रकाशन के 60 दिन के अन्दर अपने क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण के विरुद्ध लिखित रूप से कलेक्टर को आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

8— अधिनियम की धारा-11(4) के अन्तर्गत कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण होने तक कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रारम्भिक अधिसूचना में निर्दिष्ट भूमि का संव्यवहार यथा विक्रय/क्रय या उस भूमि में कोई भार उत्पन्न नहीं कर सकता है।

टिप्पणी— उक्त भूमि का स्थलीय नक्शा, कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

आज्ञा से,
(ह०) अस्पष्ट,
कलेक्टर,
बहराइच।

कार्यालय, विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, मुरादाबाद

शुद्धि-पत्र

30 दिसम्बर, 2025 ई०

सं० 801/आठ-वि०भू० अ०अ०/मुरादाबाद/2025—उत्तर प्रदेश, राजकीय गजट दिनांक 25.10.2025 ई० (अग्रहायण 29, 1947 शक संवत्) के संस्करण में भाग 1-क के संस्करण में भाग 1-क हिन्दी खण्ड में प्रकाशित प्रारूप 19 नियम-27 का उपनियम (1) समचित सरकार/कलेक्टर द्वारा घोषणा (अधिनियम की धारा-19 की उपधारा (1) के अन्तर्गत अधिसूचना की पृष्ठ संख्या-1349 पर पैरा संख्या-02, पंक्ति संख्या-04 में काजी बेहटा एवं अंग्रेजी संस्करण के अन्तर्गत अधिसूचना की पृष्ठ संख्या-1350 पर दिनांक 25 जनवरी, 2025 त्रुटिवश छपा है।

अतः भाग 1-क हिन्दी खण्ड में प्रकाशित अनुसूचि की पृष्ठ संख्या-1349 पर पैरा संख्या-02, पंक्ति संख्या-04 पर ग्राम-मऊ अस्सु तथा अंग्रेजी संस्करण में प्रकाशित अनुसूची के पृष्ठ संख्या-1350 पर अधिसूचना का दिनांक अक्टूबर 25, 2025 पढ़ा जाए।

(ह०) अस्पष्ट,
विशेष भूमि अध्यापित अधिकारी,
मुरादाबाद।



सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 07 फरवरी, 2026 ई० (माघ 18, 1947 शक संवत्)

भाग 8

नगरपालिका परिषद्, नगर पंचायत, सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रूई की गांठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आंकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आंकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार-भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि।

NOTICE

No Legal Responsibility is accepted for the Publication of Advertisements/Public Notices in this Part of the Gazette of Uttar Pradesh. Persons Notifying the Advertisements/Public Notices will remain Solely, Responsible for the Legal Consequences and also for any other Misrepresentation etc.

By Order,
Director.

कार्यालय, नगर पंचायत रामपुर मनिहारान, सहारनपुर

नगर पंचायत रामपुर मनिहारान भवन या भूमि या दोनो पर कर/स्वकर निर्धारण उपविधि 2025

09 मई, 2025 ई०

सं० 78/न०पं०रा०मनि०/गृहकर उपविधि/2025-26-नगर पंचायत रामपुर मनिहारान (सहारनपुर) अपनी सीमा के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 298 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नगर पंचायत रामपुर मनिहारान की सीमान्तर्गत गृहकर एवं जलकर कर निर्धारण एवं संग्रहण उपविधि 2025 बनायी है। उपविधि दैनिक समाचार-पत्र "दैनिक अन्त तक" दिनांक 01 जनवरी, 2025 के अंक में 30 दिन की अवधि हेतु आम जनमानस के अवलोकनार्थ एवं दावे/आपत्ति/सुझाव प्राप्त करने की दृष्टि से प्रकाशित किया गया था, निर्धारित अवधि बीत जाने के पश्चात् किसी भी कोई दावा/आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है। अतः नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 301 (2) के अन्तर्गत पुष्टि करते हुए, यह घोषित किया जाता है, कि यह उपविधि गजट में प्रकाशन की तिथि से नगर पंचायत रामपुर मनिहारान, जिला सहारनपुर में प्रभावी होगी।

1— संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारम्भ—

1— यह उपविधि नगर पंचायत रामपुर मनिहारान (भवन या भूमि या दोनो पर कर) उपविधि, 2025 कहलाएगी।

2— यह उपविधि नगर पंचायत रामपुर मनिहारान की सीमान्तर्गत लागू होगी।

3— यह उपविधि के दिनांक 01 अप्रैल, 2025 से लागू होगी।

4— उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 में दिये गये प्राविधान तथा समय-समय पर जारी किये गये विभिन्न शासनादेशों के प्राविधान इस नियमावली पर प्रभावी होंगे।

2— परिभाषाएं— जब तक विषय या सन्दर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो इस उपविधि में—

1— **उपविधि** का तात्पर्य नगर पालिका अधिनियम, 1916 से हैं।

2— **वार्षिक मूल्य** का तात्पर्य अधिनियम की धारा 140 में निर्दिष्ट वार्षिक मूल्य से है।

3— **फर्शी क्षेत्रफल** का तात्पर्य अधिनियम की धारा 140 की उपधारा (1) के स्पष्टीकरण (एक) में निर्दिष्ट फर्शी क्षेत्रफल से है।

4— **आच्छादित क्षेत्रफल** का तात्पर्य कुर्सी क्षेत्र के ऊपर के प्रत्येक तल के आच्छादित क्षेत्रफल से है, जिस पर भवन निर्मित है।

5— **प्रपत्र** का तात्पर्य उत्तर प्रदेश शासन, नगर विकास अनुभाग-9 की अधिसूचना संख्या-912/नौ-9- 24-85ज/05 टी0सी0-1 दिनांक 28 जून, 2024 के साथ संलग्न प्रपत्र क, ख, ग, व घ से है।

6— **भवन समूह** का तात्पर्य नियम-4 के अधीन उल्लिखित भू-समूह से है।

7— **कच्चा भवन** का तात्पर्य ऐसे भवन से है, जो पक्का न हो।

8— **भूमि** का तात्पर्य एकमात्र कृषि भूमि प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त भूमि से भिन्न भूमि या भूखण्ड, चाहे वह आवेष्टित या खुले स्थान पर हो या जिस पर कोई संरचना निर्मित न हो, से है।

9— **मासिक किराया दर** का तात्पर्य नियम-5 के अनुसार अधिशासी अधिकारी द्वारा विहित, यथास्थिति किसी भवन के फर्शी क्षेत्रफल या भूमि के प्रति वर्गफुट मासिक किराया से है।

10— **नगर पालिका** का तात्पर्य नगर पंचायत रामपुर मनिहारान से है।

11— **अनावासीय भवन** का तात्पर्य किसी भवन या स्थान या भूमि या गृह या ऐसे भाग से है, जो आवासीय न हो और जो अधिनियम की धारा 140 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन आच्छादित हो।

12— **अधिसूचित बैंक** का तात्पर्य कर की धनराशि को जमा करने के लिए अधिशासी अधिकारी द्वारा अधिसूचित बैंक या बैंको से है।

13— **अन्य पक्का भवन** का तात्पर्य ऐसे किसी भवन से है जिसकी दीवारें पक्की हो और छत, टिनशेड, एस्बेस्टस शीट, फाइबर, ग्लास या ऐसी ही अन्य प्रकार की सामग्रियों से निर्मित हो और फर्श पर मार्बल, टाइल्स, मोजैक और उसी प्रकार की अन्य सामग्रियों का प्रयोग न किया गया हो।

14— **पक्का भवन** का तात्पर्य ऐसे किसी भवन से है, जिसकी दीवारें ईंट या पत्थर या अन्य समान सामग्री से निर्मित हो अथवा जिसके आधार खम्भे आदि स्टील, लौह ग्लास या अन्य समान प्रकार की धातुओं से निर्मित हो।

3— (1) अधिशासी अधिकारी कम से कम दो दैनिक समाचार पत्रों में एक सूचना प्रकाशित करके भवन या भूमि या दोनों के वार्षिक मूल्य पर करो के भुगतान के लिये दायी स्वामियों या अध्यासियों से प्रपत्र ख और घ में यथास्थिति आवासिक भवन या भूखण्ड के फर्शी क्षेत्रफल और अन्य क्षेत्रफल या अनावासिक भवन के आच्छादित क्षेत्रफल या भूमि के क्षेत्रफल के सम्बन्ध में प्रत्येक दो वर्ष में एक विवरण कर निर्धारण के प्रयोजनार्थ उक्त सूचना में नियत दिनांक तक प्रस्तुत करने की अपेक्षा करेगा।

(2) अधिशासी अधिकारी सम्पत्ति के स्वामी या अध्यासी की सुविधा के लिये प्रपत्र ख और घ में विवरण प्रस्तुत करने के लिए नगर के विभिन्न वार्डों के लिए विभिन्न स्थानों को नियत कर सकता है।

(3) जब कभी स्वामी द्वारा अध्यासित या खाली भवन को किराये पर दिया जाये या इसके विपरीत हो, तो ऐसा होने के साठ दिन के भीतर स्वामी के लिए प्रपत्र ख और घ में एक नया विवरण प्रस्तुत करना आज्ञापक होगा।

(4) जब कभी निर्माण या पुनर्निर्माण के कारण आच्छादित क्षेत्रफल में 25 प्रतिशत या उससे अधिक का कोई सम्बर्द्धन किया जाता है, तो निर्माण के समापन या अध्यासन के पन्द्रह दिन के भीतर यथास्थिति स्वामी या अध्यासी के लिये प्रपत्र ख और घ में एक नया विवरण प्रस्तुत करना आज्ञापक होगा।

4— (1) अधिशासी अधिकारी अधिनियम की धारा 140 के उपबंधों के अन्तर्गत आने वाली सम्पत्ति की अवस्थिति का वार्ड वार वर्गीकरण करेगा और तत्पश्चात् प्रत्येक वार्ड के भीतर चार विभिन्न प्रकार के मार्गों पर सम्पत्ति की अवस्थिति के आधार पर इसे वर्गीकृत किया जाएगा, अर्थात्—

(क) 24 मीटर से अधिक की चौड़ाई वाले मार्ग

(ख) 12 मीटर से अधिक और 24 मीटर तक की चौड़ाई वाले मार्ग

(ग) 9 मीटर से अधिक और 12 मीटर तक की चौड़ाई वाले मार्ग

(घ) 9 मीटर तक के चौड़ाई वाले मार्ग

(2) अधिशासी अधिकारी अधिनियम की धारा 140 के उपबंधों के अन्तर्गत आने वाले भवनों के निर्माण प्रकृति का वर्गीकरण निम्नलिखित आधार पर करेगा—

(क) पक्का भवन, आर0सी0सी0 छत या आर0बी0 छत सहित

(ख) अन्य पक्का भवन।

(ग) कच्चा भवन अर्थात् समस्त अन्य भवन जो खण्ड (क) और (ख) से आच्छादित नहीं है।

(3) अधिशासी अधिकारी तदनुसार वार्ड में नीचे दर्शाए गए अनुसार समस्त भवनों को अधिकतम बारह विभिन्न समूहों की संख्या में और समस्त भूमि के मामले में अधिकतम चार विभिन्न समूहों की संख्या में व्यवस्थित करेगा—

(क) भवन के मामले में निम्नलिखित बारह समूह होंगे—

(एक) 24 मीटर से अधिक चौड़ाई वाले मार्ग पर स्थित आर0सी0सी0 छत सहित पक्का भवन।

(दो) 12 मीटर से अधिक और 24 मीटर तक के चौड़ाई वाले मार्ग पर स्थित आर0सी0सी0 छत सहित पक्का भवन।।

(तीन) 9 मीटर से अधिक और 12 मीटर तक चौड़ाई वाले मार्ग पर स्थित आर0सी0सी0 छत सहित पक्का भवन ।।

(चार) 9 मीटर तक चौड़ाई वाले मार्ग पर स्थित आर0सी0सी0 छत सहित पक्का भवन ।

(पाँच) 24 मीटर से अधिक चौड़ाई वाले मार्ग पर स्थित अन्य पक्का भवन ।

(छः) 12 मीटर से अधिक और 24 मीटर तक के चौड़ाई वाले मार्ग पर स्थित अन्य पक्का भवन ।

(सात) 9 मीटर से अधिक और 12 मीटर तक चौड़ाई वाले मार्ग पर स्थित अन्य पक्का भवन ।

(आठ) 9 मीटर तक चौड़ाई वाले मार्ग पर स्थित अन्य पक्का भवन ।

(नौ) 24 मीटर से अधिक चौड़ाई वाले मार्ग पर स्थित कच्चा भवन ।

(दस) 12 मीटर से अधिक और 24 मीटर तक के चौड़ाई वाले मार्ग पर स्थित कच्चा भवन ।

(ग्यारह) 9 मीटर से अधिक और 11 मीटर तक के चौड़ाई वाले मार्ग पर स्थित कच्चा भवन ।

(बारह) 9 मीटर तक चौड़ाई वाले मार्ग पर स्थित कच्चा भवन ।

(ख) भूमि के मामलों में निम्नलिखित चार समूह होंगे—

(एक) 24 मीटर से अधिक चौड़ाई वाले मार्ग पर स्थित भूमि ।

(दो) 12 मीटर से अधिक और 24 मीटर तक चौड़ाई वाले मार्ग पर स्थित भूमि

(तीन) 9 मीटर से अधिक और 12 मीटर तक के चौड़ाई वाले मार्ग पर स्थित भूमि

(चार) 9 मीटर तक चौड़ाई वाले मार्ग पर स्थित भूमि ।

5— (1) अधिशासी अधिकारी वार्ड के भीतर प्रत्येक दो वर्ष में एक बार यथास्थिति प्रत्येक भवन समूह के लिए फर्शी क्षेत्रफल की प्रति इकाई क्षेत्रफल (वर्गफुट) हेतु न्यूनतम मासिक किराए की दर या प्रत्येक भूमि समूह के लिए क्षेत्रफल की प्रति इकाई क्षेत्रफल (वर्गफुट) हेतु लागू न्यूनतम मासिक किराए की दर की गणना करेगा और निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए आवासिक भवन या भूमि के रूप में किराया दर नियत करेगा:

(क) भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 के प्रयोजन के लिए कलेक्टर द्वारा नियत सर्किल दर और

(ख) ऐसे भवन या भूमि के लिए क्षेत्र में वर्तमान न्यूनतम किराया दर

परन्तु यह कि ऐसे मासिक किराए की दर प्रति इकाई क्षेत्रफल नियत करने के पूर्व अधिशासी अधिकारी ऐसी प्रस्तावित दरों को नगर में परिचालन वाले दो दैनिक समाचार पत्रों में अधिसूचित करेगा और तत्पश्चात हितबद्ध व्यक्तियों को आपत्तियां दाखिल करने के लिए न्यूनतम पन्द्रह दिन का समय देगा । किसी वार्ड में प्राप्त आपत्तियों का भिन्न-भिन्न बण्डलों की अधिकतम संख्या में समूह बनाने के पश्चात ऐसी सभी आपत्तियों पर वार्डवार सुनवाई की जाएगी । प्रत्येक बण्डल में यथास्थिति भवनों के एक समूह या भूमि के एक समूह के लिए प्राप्त आपत्तियां, अन्तर्विष्ट रहेगी । समस्त आपत्तियों का निस्तारण, अधिशासी अधिकारी द्वारा आपत्तिकर्ताओं की कुल संख्या के कम से कम दस प्रतिशत व्यक्तियों को सूनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात किया जाएगा । यह आवश्यक नहीं होगा कि समस्त आपत्तिकर्ताओं को या हितबद्ध व्यक्तियों को व्यक्तिगत रूप से सुना जाय । आपत्तियों का बण्डलवार विनिश्चय किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण— भवन, भूमि या दोनों के स्व कर निर्धारण के प्रयोजनार्थ 80 प्रतिशत आच्छादित क्षेत्रफल को फर्शी क्षेत्रफल के रूप में माना जा सकता है ।

(2) अनावासिक भवनों और भूमि के मामले में आच्छादित क्षेत्रफल और भूमि का प्रति इकाई क्षेत्रफल मासिक किराए की दर उपनियम (1) के अधीन नियत किराए की मासिक दर का गुणांक होगा, जैसा कि नीचे अनुसूची में उल्लिखित है—

अनुसूची

श्रेणी	सम्पत्ति का विवरण	अनावासिक भवन की मासिक किराये की दर
1	2	3
1.	छात्रावास या राजकीय, सरकार द्वारा सहायता प्राप्त या गैर सहायता प्राप्त शैक्षिक संस्थानों, स्वीमिंग पूल, क्रीडा केन्द्र तथा जिम, शारीरिक स्वास्थ्य केन्द्र, थियेटर जिनका प्रयोग मात्र सांस्कृतिक कार्यक्रमों हेतु होता हो, जिसमें वैवाहिक समारोहों से सम्बन्धित सांस्कृतिक कार्यक्रम सम्मिलित नहीं है, संगीत एवं नृत्यकेन्द्र, सूक्ष्म एवं लघु औद्योगिक इकाइयाँ (उद्योग विभाग की परिभाषानुसार), एकल स्क्रीन सिनेमाघर (जो माल्स में स्थित नहीं है), 120 वर्गफीट/11.14 वर्गमीटर क्षेत्रफल तक की चाय, दूध, डबलरोटी, अंडे, धोबी/लांड्री, फल, सब्जी, फोटोस्टेट, नाई/हेयर ड्रेसर (जिनमें दो से अधिक बाल काटने की कुर्सीयां न हो और जिसमें वातानुकूलन/कूलर का उपयोग न होता हो) तथा दर्जी की दुकान।	उप नियम (1) के अधीन नियत दर के समान।
2.	मेडिकल स्टोर, प्रत्येक प्रकार के वाणिज्यिक कॉम्प्लेक्स, स्थापित बाजारों में स्थित दुकाने, टेंट हाउस, भवन निर्माण सामग्री की दुकान और गैर सरकारी कोचिंग सेन्टर।	उप नियम (1) के अधीन निर्धारित दर का दो गुना।
3.	सरकारी, अर्ध सरकारी अथवा गैर सरकारी कार्यालय भवन, सार्वजनिक उपक्रम, राजकीय निगम और बोर्ड आदि, क्लीनिक, पालीक्लीनिक, डेन्टल क्लीनिक, डायग्नोस्टिक केन्द्र, पैथोलाजी लैब, नर्सिंग होम, चिकित्सालय और स्वास्थ्य परिचर्या केन्द्र, फिजियोथेरेपी केन्द्र, प्रसूति गृह, प्राविधिक विश्वविद्यालय, मेडिकल कालेज एवं डेन्टर कालेज, इंजीनियरिंग कालेज, प्रबन्ध संस्थान, विधि संस्थान एवं अन्य व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने वाले संस्थान, पेट्रोल पम्प, गैस एजेन्सी, डिपो और गोदाम आदि, सामुदायिक भवन, कल्याण मण्डप, विवाह क्लब, ऑडिटोरियम (प्रेक्षागृह), सामुदायिक केन्द्र, मध्यम तथा वृहद उद्योग (उद्योग विभाग की परिभाषानुसार), रेस्टोरेंट, स्टार रहित होटल और एक या एक से अधिक सितारे वाले होटल और अन्य पर्यटन इकाइयां, टावर और होर्डिंग वाले भवन, टेलीविजन टावर, दूरसंचार टावर या कोई अन्य टावर जो भवन की सतह पर या शिखर पर या खुले स्थान पर प्रतिस्थापित किए जाते हैं, बैंक, बैंक ए0टी0एम0, फाइनेंस कम्पनियां, निजी क्षेत्र के कार्यालय और निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठान माल्स, पब्स, बार, वासगृह जहाँ भोजन के साथ मदिरा भी परोसी जाती है।	उप नियम (1) के अधीन निर्धारित दर का तीन गुना।
4.	अन्य प्रकार के अनावासिक भवन जो उपर्युक्त श्रेणी में उल्लिखित नहीं हैं।	उप नियम (1) के अधीन निर्धारित दर का तीन गुना।

(3) नगर पालिका को उपनियम (2) की अनुसूची की श्रेणी-(2) और श्रेणी-(3) की किसी एक या अधिक प्रकार की सम्पत्तियों के भवनों का गुणांक बढ़ाने का अधिकार होगा। वह संकल्प द्वारा उसे उप नियम (1) के अधीन आवासिक भवनों हेतु नियत दर का क्रमशः तीन गुना और चार गुना तक नियत कर सकेगा।

(4) नगर पालिका संकल्प द्वारा अनुसूची की श्रेणी (4) के अधीन ऐसे विनिर्दिष्ट अनावासीय भवन जो श्रेणी (1) से (3) में उल्लिखित नहीं हैं का गुणांक उपनियम (1) के अधीन निर्धारित दर को घटाकर दो गुना और बढ़ाकर चार गुना कर सकेगी।

(5) भवनों या भूमि या दोनों के वार्षिक मूल्य पर कर के उद्बहण के सम्बन्ध में अधिनियम की धारा 129 क के उपबन्ध पूर्ववत् लागू होंगे।

6. (1) जब नियम 5 के अधीन आपत्तियों का विनिश्चय कर लिया जाये तो अधिशासी अधिकारी ऐसे नगर में परिचालित होने वाले दो दैनिक समाचार-पत्रों में यथास्थिति, वार्ड के भीतर भवनों के प्रत्येक समूह के लिए, फर्शी क्षेत्रफल के प्रतिवर्ग फुट/वर्ग मीटर किराए की न्यूनतम मासिक दर या भूमि के प्रत्येक समूह के लिए क्षेत्रफल के प्रतिवर्ग फुट/वर्ग मीटर लागू किराये की न्यूनतम मासिक दर अधिसूचित/प्रकाशित करेगा और तत्पश्चात् यह अंतिम हो जाएगी।

(2) उप नियम (1) के अधीन किराये की न्यूनतम दर अधिसूचित/प्रकाशित होने से 06 माह की अवधि के भीतर कर के निर्धारण की कार्यवाही पूर्ण कर ली जायेगी।

7— (1) कर का निर्धारण निम्नलिखित के आधार पर किया जाएगा

(क) (एक) आवासीय भवन के वार्षिक मूल्य की गणना—

फर्शी क्षेत्रफल×निर्धारित प्रति इकाई क्षेत्रफल मासिक किराया दर×12

या

आच्छादित क्षेत्रफल का 80%× निर्धारित प्रति इकाई क्षेत्रफल मासिक किराया दर×12

(दो) आवासीय भूमि के वार्षिक मूल्य की गणना—

भूमि का क्षेत्रफल × निर्धारित प्रति इकाई क्षेत्रफल मासिक किराया दर×12

(ख) (एक) अनावासीय भवन के वार्षिक मूल्य की गणना—

आच्छादित क्षेत्रफल × आवासिक भूमि की दर के गुणांक के आधार पर नियत प्रति इकाई क्षेत्रफल की मासिक दर ×12

(दो) अनावासीय भूमि वार्षिक मूल्य की गणना—

भूमि का क्षेत्रफल × आवासिक भूमि की दर के गुणांक के आधार पर नियत प्रति इकाई क्षेत्रफल की मासिक दर×12 ।

(2) **संदेय कर**— नगर पालिका उन दरों का निर्धारण करेगी जिस पर अधिनियम की धारा 128 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट कर यथा स्थिति भवन या भूमि या दोनों के वार्षिक मूल्य पर उद्गृहीत किये जायेंगे।

परन्तु यह कि भवनों या भूमि या दोनों के वार्षिक मूल्य पर कर वार्षिक मूल्य के किसी भी दशा में 10 प्रतिशत से कम नहीं होगा, भवनों, भूमि या दोनों के वार्षिक मूल्य पर जल कर 7.5 प्रतिशत से कम नहीं होगा और जल निकास कर वार्षिक मूल्य के 2.5 प्रतिशत से कम न होगा।

(3) **सेवा प्रभार**— उपनियम (2) के आधार पर निर्धारित कर के 75 प्रतिशत, 50 प्रतिशत या 33.33 प्रतिशत दर पर आगणित सेवा-प्रभार नगर पालिका के माध्यम से उपबंधित पूर्ण या आंशिक या शून्य सेवाओं के उपयोग के आधार पर भारत संघ या उसके विभागों द्वारा संदेय होंगे।

(4) **स्वनिर्धारण**— भवन या भूमि या दोनों के वार्षिक मूल्य पर कर भुगतान के लिये मुख्यतः दायी व्यक्ति या अन्य दायी व्यक्ति, नियम 4 और नियम 7 के उपबंधों के अनुसार निर्धारित कर, नियम 3 में अपेक्षित विवरणी के साथ यथास्थिति प्रपत्र क या प्रपत्र ग में सम्पत्ति का विवरण अंकित करते हुए अधिशासी अधिकारी द्वारा विहित अधिसूचित बैंको या अन्य स्थानों में नियम 3 के उपनियम (1) के अधीन निर्धारित दिनांक तक चालान के साथ जमा करेगा।

(5) **प्रोत्साहन**— अनावासिक भवनों के स्वामियों या अध्यासियों को प्रोत्साहन, यथा स्थिति, भवन या भूमि के वार्षिक मूल्य में निम्नलिखित रीति से प्रदान किया जा सकता है।

(क) ऐसे भवन, जिसमें वर्षा जल संचयन या भू-गर्भ जल संभरण की प्रणाली संस्थित हो और प्रचालन में हो या कम से कम 40 प्रतिशत क्षेत्रफल वृक्षारोपण और हरियाली द्वारा आच्छादित हो या समुचित और पर्याप्त पार्किंग स्थान उपलब्ध हो या यदि व्यापार या विनिर्माण या ऐसे अन्य क्रियाकलापो में लगा हो जिससे प्रदूषण उत्पन्न होता हो किन्तु प्रभावकारी प्रदूषणरोधी उपाय अपनाये गए हो तो उसके वार्षिक मूल्य में प्रत्येक हेतु 2 प्रतिशत की छूट प्रदान करते हुए प्रोत्साहन प्रदान किया जायेगा।

परन्तु यह कि उपर्युक्त प्रोत्साहन इस खण्ड में उल्लिखित सुविधाओं और उपायों की विद्यमानता और उनके उचित रखरखाव का सत्यापन करने के पश्चात वर्षानुवर्ष आधार पर प्रदान किये जायेंगे।

(ख) खण्ड (क) में यथा उल्लिखित ऐसे भवन के वार्षिक मूल्य में प्रत्येक हेतु 2 प्रतिशत तक की वृद्धि की जाएगी, यदि उक्त भवन में खण्ड(क) में उल्लिखित उपाय उपबंधित न किये गये हो।

8. (1) समस्त भवनों या भूमियों या दोनों के सम्बन्ध में निर्धारण सूची कर गणना के निर्धारण सूची पश्चात निम्नलिखित आधार पर तैयार की जायेगी

(क) भवनों तथा भूमियों के सम्बन्धित स्वामियों या अध्यासियों द्वारा प्रपत्र क, ख, ग और घ में प्रस्तुत किये गये विवरण, या

(ख) अधिशासी अधिकारी द्वारा इस निमित्त संग्रहीत सूचना, जहां प्रपत्र क, ख, ग या घ में सूचनाये विहित समय के भीतर प्रस्तुत न की जायें। इस स्थिति में फर्शी क्षेत्रफल की गणना भवन के आच्छादित क्षेत्रफल के 80 प्रतिशत के आधार पर की जाएगी।

(ग) **निर्धारण सूची में निम्नलिखित समाविष्ट होंगे—**

(एक) सड़क और मोहल्ले, जिनमें सम्पत्ति स्थित हो, का नाम,

(दो) नाम, संख्या या किसी अन्य विनिर्दिष्ट, जो पहचान के लिए पर्याप्त हो, द्वारा सम्पत्ति का अभियान,

(तीन) स्वामी का नाम, चाहे सम्पत्ति स्वामी द्वारा अध्यासित हो या किराये पर हो, तो किरायेदार का नाम

(चार) भवन या भूमि समूह के फर्शी क्षेत्रफल आधारित तथा आच्छादित क्षेत्रफल आधारित प्रति वर्ग फुट/वर्ग मीटर न्यूनतम मासिक किराया दर,

(पांच) भवन या फर्शी क्षेत्रफल या आच्छादित क्षेत्रफल या भूमि का क्षेत्रफल या दोनों,

(छः) भवन निर्माण का वर्ष

(सात) भवन निर्माण की प्रकृति

(2) **स्व निर्धारण से सम्बन्धित सूची**— ऐसे आवासिक भवन, जिनके लिये स्वनिर्धारित कर प्रपत्र-क में और ऐसे अनावासिक भवन जिनके लिये स्व निर्धारित कर प्रपत्र-ग में विहित समय के भीतर जमा कर दिये गये हो, उपनियम (1) में तैयार की गयी निर्धारण सूची में प्रविष्ट किये जायेंगे, परन्तु नियम 9 के उपबन्ध ऐसे भवनों पर लागू नहीं होंगे।

परन्तु यह कि किसी शिकायत या जांच के आधार पर, यदि कोई हो विवरण सही नहीं पाया जाता है, तो सूची में प्रविष्ट विवरण और उसमें निर्धारित कर को पुनरीक्षित किया जायेगा तथा कारण बताओ नोटिस के पश्चात शास्ति अधिरोपित की जायेगी।

9— (1) जब सम्पूर्ण नगर या उसके किसी भाग की निर्धारण सूची तैयार हो जाय तब नगर पालिका या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिशासी अधिकारी उस स्थान एवं समय के सम्बन्ध में जहाँ और जब उक्त सूची का निरीक्षण किया जाये, ऐसे नगर में परिचालन वाले दो दैनिक समाचार-पत्रों में उसे प्रकाशित करायेगा।

(2) भवन के फर्शी क्षेत्रफल या आच्छादित क्षेत्रफल या भूमि के क्षेत्रफल की गणना या अन्य प्रविष्टियों तथा छूटों के सम्बन्ध में आपत्तियाँ, अधिशासी अधिकारी को संबोधित करके सार्वजनिक सूचना प्रकाशित किये जाने के पश्चात एक माह की अवधि के भीतर लिखित रूप में प्रेषित की जाएगी, मासिक किराया दर के निर्धारण से सम्बन्धित किसी आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा।

(3) नगर पालिका या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिशासी अधिकारी, आपत्तिकर्ताओं को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात आपत्तियों का निस्तारण करेगा।

10— अधिशासी अधिकारी नियम 4, 7 और 8 के अधीन भवन। या भूमि या दोनों के वार्षिक मूल्य पर निर्धारित कर भुगतान हेतु स्वामी या अध्यासी को उस रीति से जैसा कि वह उचित समझे बिल भेजेगा, जिसमें एक ऐसा दिनांक उपदर्शित किया जायेगा, जब तक यह अधिसूचित बैंको या नगर पालिका के कार्यालय में जमा किया जायेगा। 01 अप्रैल से चालू वित्तीय वर्ष की धनराशि पर माह-अप्रैल, मई व जून, तक अग्रिम जमा पर 25 प्रतिशत की दर से छूट देय होगी। 01 अप्रैल को हुए बकाया पर छूट देय नहीं होगी। यदि विहित दिनांक तक कर की सम्पूर्ण धनराशि जमा नहीं की जाती है, तो समाप्त उस वित्तीय वर्ष की धनराशि पर 01 अप्रैल को 25 प्रतिशत की दर से अधिभार संदेय होगा, व एक वर्ष के बकाया के उपरान्त अथवा पिछला समस्त वित्तीय वर्ष का बकाया धनराशि असंदत्त रह गई हो, बारह प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज, कर भुगतान के लिये निर्धारित दिनांक से भुगतान के दिनांक तक संदेय होगा। वित्तीय वर्ष की गणना 01 अप्रैल से 31 मार्च तक होगी। नगर पंचायत में कार्यरत सभी प्रकार के कर्मचारी (नियमित, संविदा,) को 50 प्रतिशत की छूट देय होगी व नगर पंचायत के पेंशनरों को 25 प्रतिशत की छूट देय होगी। जिस वित्तीय वर्ष में नियमावली लागू होगी उस वर्ष किस माह से किस माह तक छूट देय होगी यह निर्णय अधिशासी अधिकारी व अध्यक्ष नगर पंचायत रामपुर मनहारान को होगा।

11— भवन। या भूमि या दोनों के कर के सम्बन्ध में कर भुगतान के लिए मुख्यतः दायी स्वामी या अध्यासी, अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार भवन या भूमि या दोनों के वार्षिक मूल्य पर कर स्वयं अवधारित कर सकता है और उसके द्वारा इस प्रकार निर्धारित कर को स्व निर्धारण विवरण के साथ आनलाईन, चेक, संदाय आदेश या अन्य उपयुक्त ढंग से अधिसूचित बैंक या नगर पालिका कार्यालय में जमा कर सकता है।

12— (1) अधिशासी अधिकारी यथास्थिति प्रस्तुत किये गये भवन के फर्शी क्षेत्रफल या आच्छादित क्षेत्रफल या भूमि के क्षेत्रफल के विवरणों या स्व निर्धारण के अन्य विवरणों की कुल संख्या के कम से कम दस प्रतिशत विवरणों की याच्छिक जांच की व्यवस्था करेगा और ऐसे मामलों में जहाँ भवन के फर्शी क्षेत्रफल या आच्छादित क्षेत्रफल के किसी भाग या तद्संबंध में त्रुटि विवरण कर दिया गया हो, वहाँ वह यथास्थिति स्वामी या अध्यासी को दो सप्ताह के भीतर कारण बताने का नोटिस जारी करेगा कि क्यों न क्षेत्रफल को छुपाने अथवा सम्पत्ति के त्रुटिपूर्ण विवरण के कारण कर में होने वाले अन्तर के अनधिक चार गुने की शास्ति अधिरोपित की जाय।

(2) यथास्थिति, स्वामी या अध्यासी द्वारा दिए जाने वाले किसी स्पष्टीकरण पर विचार करने के पश्चात और ऐसी जांच जैसा कि वह आवश्यक समझे, करने के पश्चात, अधिशासी अधिकारी ऐसी शास्ति जो नोटिस के अनुसार अधिक न हो, अधिरोपित कर सकता है और कर धनराशि के साथ उसे वसूल किये जाने का आदेश दे सकता है।

(3) नियम 3 के उपनियम (1) और (3) अधीन नियत समय के भीतर अपेक्षित विवरण प्रस्तुत न किये जाने की दशा में, अधिशासी अधिकारी ऐसी शास्ति अधिरोपित कर सकता है, जो भूमि के क्षेत्रफल 50 वर्ग मी0, 200 वर्ग मी0, 400 वर्ग मी0 तक तथा उससे अधिक होने पर क्रमशः 100.00 रुपये, 1000.00 रुपये, 5000 रुपये तथा 25000.00 रुपये हो सकती है। परन्तु यह कि 30 दिन के विलम्ब की स्थिति में शास्ति का 5 प्रतिशत विलम्ब शुल्क के रूप में जमा किया जायेगा। नियम 8 के अधीन निर्धारण सूची तैयार करते समय नियम समय में भीतर विवरणी प्रस्तुत न किये जाने की स्थिति में नियम 5 के अधीन प्रस्तावित फर्शी क्षेत्रफल की दरों का प्रयोग शास्ति के अतिरिक्त किया जायेगा।

(4) कोई व्यक्ति जो नियम 3 के उपनियम (4) के उपबंधों का उल्लंघन करता है शास्ति का भुगतान करने के लिये दायी होगा, जो पचास रुपये तक या तीन मास की अवधि के लिए उक्त भवन या उसके विस्तार पर संदेय कर की धनराशि का दस गुना, जो भी अधिक हो, तक बढ़ाया जा सकता है।

13— नियम 12 के उपनियम (1), (3) और (4) के अधीन अधिशासी अधिकारी द्वारा शास्तियों का गुणावगुण के आधार पर प्रशासन शास्ति की अधिकतम धनराशि के एक तिहाई और अन्यून तथा आधे से अनधिक धनराशि पर किया जा सकता है।

14— (1) नगर पालिका परिषदों तथा नगर पंचायतों में स्थित सम्पत्तियों का मूल्यांकन और निर्धारण इस नियमावली के प्रकाशित होने के दिनांक से छः माह के भीतर अनिवार्य रूप से पूर्ण कर लिया जायेगा और प्रत्येक दो वर्ष में मासिक किराया दर का पुनरीक्षण कर लिया जायेगा।

(2) नगर पालिका परिषदों और नगर पंचायतों में करो की वसूली की समीक्षा अधिशासी अधिकारी द्वारा प्रत्येक माह के प्रथम पक्ष तक की जायेगी।

(3) नगर पालिका परिषदों तथा नगर पंचायतों में कुल मांग के सापेक्ष कर वसूली का विवरण अधिशासी अधिकारी द्वारा प्रत्येक माह के द्वितीय पक्ष तक स्थानीय निकाय निदेशालय को उपलब्ध कराया जायेगा।

(4) निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय उपनियम (3) के अधीन माहवार प्राप्त विवरण नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन और उत्तर प्रदेश नगर पालिका वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगा।

(5) बिल और मांग की नोटिस तामील कराने के अतिरिक्त, मांग तथा संग्रह का विवरण करदाता के मोबाईल फोन पर संदेश, ई-मेल और अन्य आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) नगर पालिका परिषदों और नगर पंचायतों, जहां कुल मांग की धनराशि के 90 प्रतिशत तक की वसूली की जाये, को प्रोत्साहन प्रदान किया जायेगा।

(7) लक्ष्य के सापेक्ष कमी होने की स्थिति में उत्तरदायी अधिकारी को दण्डित किया जायेगा।

सविता वर्मा,
अधिशासी अधिकारी,
नगर पंचायत रामपुर मनिहारान,
सहारनपुर।

कार्यालय, उ०प्र० शिया सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड

14 जनवरी, 2026 ई०

सं० 1089—उत्तर प्रदेश शिया सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड रुल्स, 1944 की धारा-54(7) के अनुसार उत्तर प्रदेश शिया सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड लखनऊ सूचित करता है कि वक्फ अललखैर मुसम्मात अली बांदी व सै० मुजतबा हुसैन, पंजीकरण संख्या-2583 जो वक्फ अधिनियम 1995 की धारा-36/37 के अर्न्तगत बहैसियत उत्तर प्रदेश शिया सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड, लखनऊ के अभिलेखों में दर्ज रजिस्टर हो चुका है।

वक्फ की सम्पत्ति तथा इससे सम्बन्धित विस्तृत ए विवरण कार्यालय उत्तर प्रदेश शिया सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड के कक्ष संख्या-817, आठवा तल, इन्दिरा भवन, अशोक मार्ग, लखनऊ में कोई व्यक्ति जो कानूनी तौर पर इच्छुक हो देख सकता है—

1—ग्राम—सिझौली, तहसील—अकबरपुर, जिला—अम्बेडकर नगर

गाटा/खसरा संख्या	क्षेत्रफल हे० में
874	1.8600
2048	1.0610
3530	0.0470
योग . .	2.9680

2—ग्राम—मजीसा, तहसील—अकबरपुर, जिला—अम्बेडकर नगर

पुराना गाटा/खसरा संख्या	नवीन गाटा/खसरा संख्या	क्षेत्रफल हे० में
3964/3, 3965/3, 3984 मि०, 3966/3, 3985, 3986/1, 3987 मि०, /2, 3988 मि०, 3989 मि०, 3990 मि०	1305	0.5980
4252 मि०	1345 ख	0.0280
4251 मि०	1346 ख	0.0280
4241	1515	0.0760
4242 मि०	1518 क	0.0480
4246 मि०	1520 क	0.0920
4131 मि०	1521 क	0.0920
4125 मि०	1522 क	0.0630
4126 मि०	1523 क	0.0630
4127 मि०	1524 क	0.0280
4048 मि०, 4049 मि०, 4050, 4051 मि०, 4052 मि०, 4053, 4054, 4055, 4056 मि०, 4057 मि०, 48058 मि०, 4059 मि०, 4060 मि०, 4066 मि०, 4076/2 मि०।	1621	0.7660
योग . .		1.8820

(ह०) अस्पष्ट,
जीशान रिजवी,
मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
उ०प्र०, शिया सेन्ट्रल वक्फ, बोर्ड।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम सृष्टि यादव पुत्री जियालाल यादव है जो कि मेरे शैक्षणिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं०-2557 2510 1975 में मेरा नाम खुशी यादव अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम सृष्टि यादव पुत्री जियालाल यादव के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

सृष्टि यादव पुत्री जियालाल यादव,
निवासी ग्राम कछरा, पोस्ट व थाना शाहगंज,
तहसील शाहगंज, जिला जौनपुर।

जांच रिपोर्ट में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड में Mann Singh संख्या 9283 0606 0726 में मेरा नाम गलत अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम मान सिंह (Man Singh) पुत्र पुरुषोत्तम सिंह के नाम जाना व पहचाना जाये।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएँ स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी हैं।

मान सिंह, (Man Singh) पुत्र पुरुषोत्तम सिंह,
ग्राम व पोस्ट कादिरपुर नेवादा,
थाना सराय अकिल तहसील चायल,
जनपद कौशाम्बी, उत्तर प्रदेश।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम श्रेया भारती (SHREYA BHARTI) पुत्री वृजेश कुमार है, जो कि उसके जन्म प्रमाण पत्र में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड संख्या 9049 6628 0912 में उसका नाम स्नेह आदर्शनी (SNEH ADARSHANI) अंकित हो गया है, जो कि गलत नाम है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम श्रेया भारती (SHREYA BHARTI) पुत्री वृजेश कुमार के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

वृजेश कुमार पुत्र राम सेवक,
R/o देवगलपुर पो0 मऊआईमा,
जिला-प्रयागराज।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम मान सिंह (Man Singh) पुत्र पुरुषोत्तम सिंह है जो कि मेरे शैक्षिक अभिलेख तथा उपजिलाधिकारी द्वारा

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम बिन्दा देवी पत्नी श्याम नारायण सिंह है जो मेरे निर्वाचन कार्ड, बैंक पासबुक, मेरे पति के सेवा से सम्बन्धित अभिलेखों व उपजिलाधिकारी द्वारा जांच रिपोर्ट में अंकित है। जबकि त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड संख्या 5625 5698 1082 में मेरा नाम बिन्दू सिंह पत्नी श्याम नारायण सिंह दर्ज हो गया है जो गलत नाम है। अब भविष्य में मुझे मेरे सही नाम बिन्दा देवी पत्नी श्याम नारायण सिंह के नाम से जाना पहचाना जाय।

बिन्दा देवी पत्नी श्याम नारायण सिंह,
निवासिनी सेक्टर-ए देव नगर कालोनी कंचनपुर,
भिखारीपुर डी.एल.डब्ल्यू. वाराणसी, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम पीयूष (Piyush) पुत्र जय प्रकाश है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख (जन्म प्रमाण-पत्र) में अंकित है त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड संख्या 7451 4077 3136 में उसका नाम (Payush) अंकित हो गया है जो कि गलत है भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम (Piyush) पुत्र जय प्रकाश के नाम से जाना व पहचाना जाए।

एतत् ऐसा द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतयें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

पूनम देवी पत्नी जय प्रकाश,
झिरिहिरी हंडिया प्रयागराज, उत्तर प्रदेश।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम रविंद्र कुमार पुत्र मथुरा प्रसाद है जो मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है, त्रुटिवश मेरे आधार संख्या 5965 0763 4112 में मेरा नाम दीपेन्द्र कुमार पुत्र मथुरा प्रसाद, अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम रविंद्र कुमार पुत्र मथुरा प्रसाद नाम से जाना व पहचाना जाए।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता उपरोक्त के संबंध में समस्त विधिक औपचारिकताएँ स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी हैं।

रविंद्र कुमार पुत्र मथुरा प्रसाद
बरईगढ़, कानपुर नगर, उत्तर प्रदेश।

सूचना

सर्वसाधारण हो सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम मो० अरसलान खॉ पुत्र मो० जुबैर खॉ है। जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड संख्या -6263 7903 3700 में उसका नाम अर्शलान खान है, जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम मो० अरसलान खॉ पुत्र मो० जुबैर खॉ (MD ARASHLAN KHAN S/O MD ZUBAIR KHAN के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायेँ स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी हैं।

मो० जुबैर खॉ पुत्र अलीशेर खॉ,
निवासी— ग्राम व पोस्ट बारा,
थाना गहमर तहसील सेवराई,
जनपद गाजीपुर, उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम अथर्व नागवंशी (ATHARV NAGVANSI) पुत्र पवन कुमार भारतीय है जो कि उसके जन्म प्रमाण पत्र एवं शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड संख्या-6648 9972 4359 में उसका नाम प्रीतम सिंह अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम अथर्व नागवंशी (ATHARV NAGVANSI) पुत्र पवन कुमार भारतीय के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएँ स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी हैं

पवन कुमार भारतीय,
पता— दुर्जनपुर, पोस्ट, झूंसी, प्रयागराज।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम रक्षित श्रीवास्तव पुत्र मनोज कुमार श्रीवास्तव है। जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड संख्या 3378 0664 6788 में उसका नाम ANUJ SRIVASTAVA अनुज श्रीवास्तव अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम रक्षित श्रीवास्तव RAKSHIT SRIVASTAVA पुत्र मनोज कुमार श्रीवास्तव के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएँ स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी हैं।

मनोज कुमार श्रीवास्तव,
312/25 न्यु कालोनी दक्षिणी देवरिया,
वार्ड, नम्बर— 16 देवरिया, उत्तर प्रदेश।

NOTICE

It is hereby notified that my correct name is Neelam Pandey, wife of Akhilesh Kumar Dubey,

daughter of Ram Kuber Pandey, as mentioned in my educational records, Aadhaar Card Number 8747 8775 1994 and PAN Card. My name has been mistakenly written as Neelam Dubey in my Passport Number (T1793462) which is incorrect. I should known by my correct name Neelam Pandey, wife of Akhilesh Kumar Dubey, daughter of Ram Kuber Pandey, it is certified that all the legal formalities in this regard have been completed by me.

Neelam Pandey
Harthua Babhanpur
Sultanpur

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम लॉर्ड आकाश पुत्र इन्द्र देव है जो कि मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं०-5991 2713 8668 में मेरा नाम आकाशदीप सिंह अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मेरे सही नाम लॉर्ड आकाश पुत्र इन्द्र देव के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

लॉर्ड आकाश पुत्र इन्द्र देव,
निवासी,— 37ए/12बी/1 नेवादा अशोक नगर,
प्रयागराज।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम श्रीधर मालवीय (SHREEDHAR MALVIYA) पुत्र प्रवीण मालवीय (PRAVEEN MALVIYA) है, जो कि उसके शैक्षणिक अभिलेखों में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं० 7679 0028 5510 में उसका नाम कौस्तुभ मालवीय (KAUSTUBH MALVIYA) अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम श्रीधर

मालवीय पुत्र प्रवीण मालवीय के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताये स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

प्रवीण मालवीय पुत्र पी०एन० मालवीय,
निवासी— 50/44 त्रिपौलिया, बताशा मंडी,
पो० प्रयागराज सिटी, थाना कोतवाली प्रयागराज।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम शिवांकुर द्विवेदी पुत्र रवीन्द्र कुमार द्विवेदी है जो कि उसके जन्म प्रमाण पत्र व शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं० 5794 6266 3997 में उसका नाम शिवा द्विवेदी अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम शिवांकुर द्विवेदी पुत्र रवीन्द्र कुमार द्विवेदी के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त औपचारिकताएं मेरे स्वयं द्वारा पूर्ण की गयी है।

किरन द्विवेदी, पत्नी रवींद्र कुमार द्विवेदी,
पता— नकहा बसंत, बालपुर,
गोंडा, उत्तर प्रदेश।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम कौशलेंद्र सिंह (KAUSHALENDRA SINGH) पुत्र राजेंद्र सिंह है। जो कि मेरे शैक्षिक अभिलेख, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, एवं राशन कार्ड में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं०-7189 9632 0191 में नाम सुधांसू सिंह अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम कौशलेंद्र सिंह (KAUSHALENDRA SINGH) पुत्र राजेंद्र सिंह के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त औपचारिकताएं मेरे स्वयं द्वारा पूर्ण की गयी है।

कौशलेन्द्र सिंह, पुत्र राजेन्द्र सिंह,
पता—बेगमपुर, भीखमपुर,
प्रयागराज, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम अंश कुमार पुत्र दिनेश कुमार है जो उसके शैक्षिक अभिलेख में भी दर्ज है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0 4714 1929 8348 में उसका नाम अंश अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम अंश कुमार पुत्र दिनेश कुमार के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकता स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

दिनेश कुमार,
ग्राम व पोस्ट नन्दना तहसील बूढनपुर,
आजमगढ़, उ0प्र0।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम इशित्व त्रिपाठी (ISHITVA TRIPATHI) पुत्र आशुतोष त्रिपाठी है। जो उसके शैक्षिक अभिलेख व जन्म प्रमाण पत्र में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं 9326 2381 2731 में उसका नाम राम त्रिपाठी अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम इशित्व त्रिपाठी (Ishitva Tripathi) पुत्र आशुतोष त्रिपाठी के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताये स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

आशुतोष त्रिपाठी,
पता—18/1/7 गीता भवन, छोटी देवकाली रोड,
अयोध्या उत्तर प्रदेश।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम लक्ष्य शर्मा (LAKSHYA SHARMA) पुत्र कमलाकांत है जो कि उसके जन्म प्रमाणपत्र व शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0 8021 0785 3031 में उसका नाम लक्ष्य शर्मा (LAXY SHARMA) अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम लक्ष्य शर्मा (LAKSHYA SHARMA) पुत्र कमलाकांत के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त औपचारिकताएं मेरे स्वयं द्वारा पूर्ण की गयी है।

कमलाकांत,
पता— दुबरा, जगदीशपुर,
अटरामपुर उर्फ नवाबगंज, प्रयागराज।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम आरवी पुत्री प्रेम चन्द्र पाल है जो उसके शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है किन्तु त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड संख्या 2914 9163 5782 में उसका नाम सिमरन पाल अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम आरवी पुत्री प्रेम चन्द्र पाल के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकता में स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

प्रेम चन्द्र पाल पुत्र श्री फलदान पाल,
निवासी ग्राम चक सुल्तान उर्फ नेवादा,
परगना व पोस्ट सिकन्दरा वि०ख० बहरिया,
तहसील फूलपुर, जनपद प्रयागराज ।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम अभिजीत सिंह पुत्र अजीत सिंह है। जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश उसके आधार कार्ड सं० 6816 4044 7157 में उसका नाम यश यादव अंकित हो गया है। जो कि उसका घरेलू नाम है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम अभिजीत सिंह पुत्र अजीत सिंह के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद्वारा यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के संबंध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

अजीत सिंह पुत्र फूल सिंह,
निवासी—1502 नारायनपुरी, नौबस्ता,
कानपुर नगर।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम ननकी पत्नी श्री ओम प्रकाश कुशवाहा है। जो मेरे आधार कार्ड एवं पैन कार्ड तथा उपजिलाधिकारी द्वारा जांच रिपोर्ट में अंकित है। त्रुटिवश मेरी एल०आई०सी० पालिसी सं० 233367586 मे मेरा नाम कैलाशा अंकित हो गया है, जोकि मेरा घरेलू नाम है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम ननकी पत्नी श्री ओम प्रकाश कुशवाहा के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद द्वारा यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के संबंध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

ननकी पत्नी श्री ओम प्रकाश कुशवाहा,
निवासी— 119 बर्गा गांव कानपुर नगर।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम हेमन्त कुमार पुत्र बाबू लाल कुशवाहा है। जो मेरे आधार कार्ड, पैन कार्ड एवं शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरी एल.आई.सी. पॉलिसी सं० 311371060 में मेरा नाम प्रदोष कुमार कुशवाहा अंकित हो गया है। जोकि मेरा घरेलू नाम है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम हेमन्त कुमार पुत्र बाबू लाल कुशवाहा के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद द्वारा यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के संबंध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

हेमन्त कुमार पुत्र बाबू लाल कुशवाहा,
निवासी— 35/8 बंगाली मोहाल शिवाला,
कानपुर नगर।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम हबीबा अफताब पुत्री स्व० अफताब आलम है। जो मेरे पैन कार्ड, आधार कार्ड एवं बैंक पासबुक में अंकित है एवं शैक्षिक अभिलेख में अंकित है त्रुटिवश पॉलिसी सं० 235728492 मे मेरा नाम हबीबा अंसारी अंकित हो गया है। जोकि मेरा घरेलू नाम है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम हबीबा अफताब पुत्री स्व० अफताब आलम के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के संबंध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

हबीबा अफताब पुत्री स्व० अफताब आलम,
निवासिनी— बी-4, बाबा मदर नगर,
मछरिया नौबस्ता कानपुर नगर।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम प्रतिभा शुक्ला पुत्री सुरेश चन्द्र पत्नी आशीष

शुक्ला है। जोकि मेरे आधार कार्ड, पैन कार्ड एवं शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश एल.आई.सी. पॉलिसी सं0 235002747 मे मेरा नाम निशा शुक्ला अंकित हो गया है। जोकि मेरा घरेलू नाम है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम प्रतिभा शुक्ला पुत्री सुरेश चन्द्र पत्नी आशीष शुक्ला के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के संबंध मे समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

प्रतिभा शुक्ला पुत्री सुरेश चन्द्र,
पत्नी आशीष शुक्ला,
निवासिनी- 119/93 -बी बम्बा रोड़,
गुमटी नं0 5 आर के नगर कानपुर नगर।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि विवाह से पूर्व मेरा नाम श्वेता मित्तल पुत्री सुरेंद्र मित्तल था। जो मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। विवाहोपरांत मैंने अपना नाम श्वेता मित्तल मिश्रा रख लिया था, जो मेरे आधार कार्ड संख्या: XXXX XXXX 8716 में अंकित है। स्वास्थ्य ठीक न रहने के कारण अपने ज्योतिषाचार्य के परामर्श अनुसार मैंने अपना नाम श्वेता मित्तल मिश्रा से बदलकर श्वेता रख लिया है। भविष्य में मुझे श्वेता पुत्री सुरेंद्र मित्तल के नाम से जाना व पहचाना जाए।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त औपचारिकताएं मेरे स्वयं द्वारा पूर्ण की गयी है।

श्वेता मित्तल, पुत्री सुरेन्द्र मित्तल,
सी0सेक्टर एच0 अलीगंज, लखनऊ ७0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम रमाकांत रावत पुत्र माया शंकर रावत है, जोकि मेरे शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है, त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड संख्या: 4202 8263 3232 में मेरा नाम उमाकांत अंकित हो गया है, जोकि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे

सही नाम रमाकांत रावत के नाम से जाना व पहचाना जाए।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

रमाकांत रावत,
पुत्र माया शंकर रावत,
पता-14/4ए बेली रोड़, न्यू कटरा,
प्रयागराज।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि सन्यास ग्रहण करने से पूर्व मेरा नाम प्रदीप कुमार मिश्र पुत्र जगन्नाथ मिश्रा था, जो मेरे आधार कार्ड संख्या-8287 5906 4936 में अंकित है। सन्यास ग्रहण करने के उपरान्त मेरा नाम मेरे गुरु द्वारा स्वामी प्रकृष्टानन्द सरस्वती रखा गया है। भविष्य में मुझे स्वामी प्रकृष्टानन्द सरस्वती संरक्षक स्व० नरेन्द्रनाथ सरस्वती के नाम से जाना व पहचाना जायेगा।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

स्वामी प्रकृष्टानन्द सरस्वती
करुणाकर आश्रम शक्ति पीठ,
ग्राम व पोस्ट-भानपुर, तहसील मड़ियाहूँ,
जिला जौनपुर।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का नाम वंशिका त्रिपाठी पुत्री गौरव रमन त्रिपाठी है जो कि उनके शैक्षिक अभिलेख एवं आधार कार्ड में अंकित है। मैंने अपने पुत्री के स्वास्थ्य कारणों से अपने ज्योतिषाचार्य के अनुसार उनका नाम वंशिका त्रिपाठी से बदलकर वामिका त्रिपाठी रख लिया है। भविष्य में मेरी पुत्री को वामिका त्रिपाठी पुत्री गौरव रमन त्रिपाठी के नाम से जाना व पहचाना जाए।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के संदर्भ में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी हैं।

गौरव रमन त्रिपाठी,
नि0-5/485 विराम खण्ड-5, गोमती नगर,
लखनऊ, उ0प्र0 ।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम प्राची यादव पुत्री दीप चन्द यादव है जो कि शैक्षिक अभिलेख में अंकित है त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं0 8973 9706 7158 में उसका नाम आंशी यादव अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम प्राची यादव पुत्री दीप चन्द यादव के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी हैं।

दीप चन्द यादव,
ग्राम- तहरपुर (परियावों) पोस्ट- कजगौव,
जौनपुर, उ0प्र0 ।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम अनवी पाल पुत्री विनोद कुमार पाल है। जो कि उनके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है त्रुटिवश मेरी पुत्री आधार कार्ड संख्या 9820 3129 0475 में उसका नाम सृष्टि अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में पुत्री को उसके सही नाम अनवी पाल पुत्री विनोद कुमार पाल के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

विनोद कुमार पाल,
निवासी- 324/235 नयापुरा स्टैनली रोड,
प्रयागराज, उ0प्र0 ।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम अंकुर गुप्ता पुत्र अजय कुमार गुप्ता है, जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है, त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0 5500 4794 6842 में उसका नाम हरी (HARI) अंकित हो गया है जो की गलत है, भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम अंकुर गुप्ता पुत्र अजय कुमार गुप्ता के नाम से जाना व पहचाना जाए।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी हैं।

अजय कुमार गुप्ता पुत्र राम दुलारे,
नगर पंचायत बिस्कोहर वार्ड नं0,
राम जनकी नगर, जिला सिद्धार्थनगर, उ0प्र0 ।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम चिटू सिंह पुत्र बृजमोहन सिंह है जो कि मेरे शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड संख्या- 3796 0655 3756 में मेरा नाम शोभा सिंह अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम चिटू सिंह पुत्र बृजमोहन सिंह के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

चिटू सिंह, पुत्र बृजमोहन सिंह,
निवासी- ग्राम बरैसा, पोस्ट पश्चिम शरीरा,
कौशाम्बी, उ0प्र0 ।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम फैय्याज हुसैन (FAIYAZ HUSAIN) पुत्र खादिम हुसैन (KHADIM HUSAIN) है जो कि मेरे पासपोर्ट एवं शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे

आधार कार्ड संख्या 8072 2627 3976 में मेरा नाम नाजिम हुसैन (NAJIM HUSAIN) अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम फैय्याज हुसैन (FAIYAZ HUSAIN) पुत्र खादिम हुसैन के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण कि गई है।

फैय्याज हुसैन,
पता— 113ए, राजापुर,
जनपद प्रयागराज।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है, कि मेरी पुत्री का सही नाम आकृति शर्मा पुत्री नीरज शर्मा है जो उसके शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड संख्या 9310 5885 4988 में उसका नाम काव्या शर्मा अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम आकृति शर्मा पुत्री नीरज शर्मा के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है, कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताये स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

नीरज शर्मा पुत्र स्व० राजेश भुवन शर्मा,
निवासी—86/1, ब्लाक—9 गोविन्द नगर,
कानपुर नगर।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम बृजा देवी पत्नी चन्द्रबली है जो मेरे निर्वाचन कार्ड, परिवार रजिस्टर की नकल, खतौनी, बैंक पासबुक व उपजिलाधिकारी द्वारा जांच रिपोर्ट में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं०—7335 3832 4715 में मेरा नाम गिरजा देवी अंकित हो गया है जो कि गलत है।

भविष्य में मुझे मेरे सही नाम बृजा देवी पत्नी चन्द्रबली के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

बृजा देवी पत्नी चन्द्रबली,
पता—मठ अमौना रावतपार, अमेठिया,
देवरिया, उत्तर प्रदेश।

NOTICE

This is to inform the general public that my correct name is Lalmati wife of Late Nand Kumar, as mentioned in my Eshram card, Ration Card Family Register nakal, and the Service record of Late Nand Kumar, as well as in the inquiry report of the Sub-Divisional Magistrate. Due to an error, my name has been incorrectly recorded as Shakuntala wife of Nand Kumar in my Aadhaar Card Number 3457 0168 0631, which is incorrect.

In the future, I should be recognized by my correct name, Lalmati wife of Late Nand Kumar.

Lalmati wife of Late Nand Kumar,
Village and Post- Ghanchabikapoor,
Tehsil-Tarbganj,
District-Gonda Uttar. Pradesh.

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम युवराज पाण्डेय पुत्र मुकेश कुमार पाण्डेय है। जो उसके शैक्षणिक अभिलेखों में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड नं०—2893 3914 0710 में उसका नाम प्रिन्स पाण्डेय अंकित हो गया है, जो कि गलत नाम है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम युवराज पाण्डेय पुत्र मुकेश कुमार पाण्डेय के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएँ स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

मुकेश कुमार पाण्डेय,
पुत्र गणेश प्रसाद पाण्डेय,
निवासी आराजी नं०-804/1 कैलाश नगर,
तौधकपुर गल्ला मण्डी, प्रियंका गैस एजेन्सी,
कानपुर, कानपुर नगर।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम लवकुश तिवारी (LAVKUSH TIWARI) पुत्र अवधेश तिवारी है जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड संख्या-9574 1388 3480 में उसका नाम चुनमुन तिवारी अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम लवकुश तिवारी (LAVKUSH TIWARI) पुत्र अवधेश तिवारी के नाम से जाना व पहचान जाये।

एतद द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त संबंध में समस्त विधिक औपचारिकताएँ स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

अंजू तिवारी, पत्नी अवधेश तिवारी,
पता- ग्राम भतीजा, पोस्ट भतीजा,
जनपद चंदौली, उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम आशीष कुमार पुत्र सुनील कुमार है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड संख्या-4237 0001 9760 में उसका नाम आशीष कुमार (MASHISH KUMAR) अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम आशीष कुमार (ASHISH KUMAR) पुत्र सुनील कुमार के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त संबंध में समस्त विधिक औपचारिकताएँ स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

सुनील कुमार,
पता- कैमा कलां पो० इटौवा, लहरपुर,
सीतापुर, उत्तर प्रदेश।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम आस्था साहू (Aastha Sahu) है जो कि मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं०-2847 6698 6160 में मेरा नाम-आस्था (Aastha) पुत्री गोपाल दत्त साहू (Gopal Datt Sahu) अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम आस्था साहू पुत्री गोपाल दत्त साहू (Gopal Dutt Sahu) के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतदद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएँ स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

आस्था साहू पुत्री गोपाल दत्त साहू,
पता: 529, नई-बस्ती कीडगंज,
तहसील सदर, प्रयागराज।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम पंखुरी गुप्ता पुत्री सुनील कुमार गुप्ता है। जो मेरे पैन कार्ड, बैंक पासबुक एवं शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश भारतीय डाक सेवा अंतर्गत आवर्ती योजना मे आर०डी० नं० 0217184766 व एकाउंट नं० 235936 मे मेरा नाम रिया गुप्ता अंकित हो गया है। जोकि मेरा घरेलू नाम है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम पंखुरी गुप्ता पुत्री सुनील कुमार गुप्ता के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद द्वारा यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के संबंध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

पंखुरी गुप्ता पुत्री सुनील कुमार गुप्ता,
निवासी— 128/1/आर 79 यशोदा नगर,
कानपुर।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म सखा एसोसिएट पता सी/103, राजेन्द्र नगर, निकट गुप्ता चौराहा, बरेली उत्तर प्रदेश 243001 जिसकी पंजीकरण सं०— BAR/0000101 में दिनांक 31 मार्च, 2022 को अन्य साझेदारों की सहमति व स्वेच्छा से श्री मनोज कुमार अरोरा पुत्र श्री मनोहर लाल अरोरा स्वेच्छा से सेवानिवृत्त हो गये। सेवानिवृत्ति के पश्चात मनोज कुमार अरोरा का फर्म पर व फर्म का मनोज कुमार अरोरा पर कोई शेष बकाया नहीं है व दिनांक 15 दिसम्बर, 2024 को अन्य साझेदारों की सहमति व अपनी इच्छा से श्री नीरज मलिक पुत्र श्री गोपाल कृष्ण मलिक फर्म में नये साझेदार के रूप में सम्मिलित हुए व दिनांक 31 अक्टूबर, 2025 को अन्य साझेदारों की सहमति व स्वेच्छा से श्री मयंक अग्रवाल पुत्र श्री राकेश कुमार अग्रवाल एवं श्री अभिषेक अग्रवाल पुत्र श्री राकेश कुमार अग्रवाल स्वेच्छा से सेवानिवृत्त हो गये। सेवानिवृत्ति के पश्चात मयंक अग्रवाल एवं अभिषेक अग्रवाल का फर्म पर व फर्म का मयंक अग्रवाल एवं अभिषेक अग्रवाल पर कोई शेष बकाया नहीं है वर्तमान में उपरोक्त फर्म में कुल चार साझेदार क्रमशः 1—ईमोद गांधी, 2 परम केसवानी 3— सीमा मलिक, 4 नीरज मलिक है।

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें पूर्ण कर ली गयी हैं।

ईमोद गांधी,
साझेदार,
मेसर्स सखा एसोसिएट
पता—सी/103, राजेन्द्र नगर,
निकट गुप्ता चौराहा, बरेली उत्तर प्रदेश।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म M/S N.K. ASSOCIATES, 39, W1-Block Ashok Vihar, Saket Nagar, Kanpur. 208014 का साझीदार हूँ। फर्म का पंजीयन दिनांक —15 जुलाई, 2010 को पंजीकरण सं० K-9477 पर हुआ था। फर्म की भागीदारी डीड दि० 27 जनवरी, 2026 के अनुसार साझीदारी में श्रीमती सोनिया अरोरा को शामिल किया गया है तथा पूर्व साझीदार श्री नरेन्द्र कुमार अरोरा दिनांक 27 जनवरी, 2026 से साझीदारी से स्वइच्छा से पृथक हो गये हैं। फर्म में अब श्री कुंवर अरोरा व श्रीमती सोनिया अरोरा साझीदार हैं।

कुंवर अरोरा,
पार्टनर,

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म M/S SHRI DURGE ENTERPRISES, 10-Rajeev Nagar, Lal Banglow, Kanpur. का साझीदार हूँ। फर्म का पंजीयन रजि० सं०—K-11716 पर दिनांक 06 जून, 2016 में हुआ था। फर्म की भागीदारी डीड दि० 01 अप्रैल, 2010 के अनुसार श्री सुजीत सिंह व श्री धर्मेन्द्र सिंह साझीदार थे। भागीदारी डीड दिनांक 20 नवम्बर, 2025 के अनुसार साझीदारी में श्री धीर सिंह गौर व श्रीमती स्नेहलता सिंह को शामिल किया गया है तथा साझीदार पूर्व साझीदार श्री धर्मेन्द्र सिंह का स्वर्गवास दिनांक 03 नवम्बर, 2025 को हो गया है। अब फर्म में श्री सुजीत सिंह, श्री धीर सिंह गौर व श्रीमती स्नेहलता सिंह साझीदार हैं। फर्म का पता परिवर्तित कर आराजी नं०—1027, अहिरवां, भरोसा नगर, जिला कानपुर नगर 208007 कर दिया गया है।

सुजीत सिंह,
पार्टनर,
परिवर्तित पता— आराजी नं०—1027,
अहिरवां, भरोसा नगर, जिला कानपुर नगर।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि पंजीकृत फर्म मेसर्स ओम ग्रेनाइट, 277 ए तिलक नगर अल्लापुर, प्रयागराज में तीन भागीदार पवन कुमार सिंह, संदीप मिश्रा एवं सत्यम मिश्रा थे जिसमें दो भागीदार संदीप मिश्रा एवं सत्यम मिश्रा दिनांक 07 दिसम्बर, 2025 को उक्त फर्म से अपनी-अपनी भागीदारी समाप्त करते हुए अलग हो गये हैं तथा युवराज सिंह एवं शिवराज सिंह दिनांक 07 दिसम्बर, 2025 को उक्त फर्म में बतौर भागीदार शामिल हुए हैं। वर्तमान में फर्म में तीन भागीदार पवन कुमार सिंह, युवराज सिंह एवं शिवराज सिंह हैं। फर्म से अलग हुए भागीदार संदीप मिश्रा एवं सत्यम मिश्रा का उक्त फर्म से सम्बन्धित किसी भी प्रकार का लेन-देन तथा दायित्व शेष नहीं है।

पवन कुमार सिंह,
भागीदार,
मेसर्स ओम ग्रेनाइट, 277 ए तिलक नगर,
अल्लापुर, प्रयागराज, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित करना है M/s MAK INDUSTRIES, 12-1/24, Nai Chungi, Bulandshahar Road, Hapur, District Hapur की संशोधित साझीदारीनामा में श्री अब्दुल सलाम, श्री अब्दुल मलिक एवं श्री अब्दुल कलाम साझीदार थे। दिनांक 30 सितम्बर, 2025 की संशोधित साझीदारीनामा के अनुसार श्री अब्दुल सलाम अपना हिसाब किताब ले-देकर अलग हो गये हैं। दिनांक: 30 सितम्बर, 2025 की संशोधित साझीदारीनामा के अनुसार अब्दुल मलिक एवं अब्दुल कलाम साझीदार हैं।

एतद्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी हैं।

अब्दुल मलिक,
साझीदार,
M/s MAK INDUSTRIES, 12-1/24,
Nai Chungi, Bulandshahar Road,
Hapur, District Hapur.

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स सहाई ऑटो ट्रेक्टर सर्विस सेंटर आर/ओ0 भटहट गोरखपुर, जनपद गोरखपुर, उ0प्र0 में साझेदारी डीड दिनांक 25 मई, 2019 से श्री दीपांशु नायक एवं श्री गौरव नायक जी साझेदार थे। यह कि उक्त फर्म कार्यालय सहायक रजिस्ट्रार फर्म सोसायटी एवं चिट्स, गोरखपुर में पंजीकरण संख्या— GOR/0003924 पर पंजीकृत है। यह की उक्त फर्म के साझेदार श्री दीपांशु नायक जी की मृत्यु दिनांक 09 जनवरी, 2025 को हो चुकी है। यह कि उक्त फर्म का समापन विघटन डीड दिनांक 22 जनवरी, 2026 से कर दिया गया है। यह की उक्त फर्म में किसी का कोई लेन देन बकाया नहीं हैं।

गौरव नायक,
मेसर्स सहाई ऑटो ट्रेक्टर सर्विस सेंटर,
आर/ओ0 भटहट गोरखपुर,
जनपद गोरखपुर, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित करना है M/S P R Investment Solutions, B 813, Advent Nivas Business Park, Sector 142, Noida, Gautam Buddh Nagar-201305 की संशोधित साझीदारीनामा दिनांक 17 फरवरी, 2024 के अनुसार फर्म का पंजीकृत नाम व पता M/S PR Group, SR-6N, GF, Ansal Plaza Mall, Vaishali, Sector-1, Ghaziabad-201010 परिवर्तित हो गया है।

एतद्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

पवन कुमार,
साझीदार,
M/S PR Group, SR-6N, GF,
Ansal Plaza Mall, Vaishali,
Sector-1, Ghaziabad.

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित करना है M/s BASANT SERVICE STATION, Anoopshahr Road Near I.P College Campus 1, District Bulandshahr U.P. की संशोधित साझेदारीनामा में श्रीमती मीना भालौटिया एवं श्री ध्रुव कुमार साझेदार थे। दिनांक: 01 जनवरी, 2026 को संशोधित साझेदारीनामा के अनुसार श्रीमती रेनू शर्मा साझेदारी में सम्मिलित हुए तथा श्रीमती मीना भालौटिया साझेदारी से अपना हिसाब-किताब ले-देकर अलग हो गई है। दिनांक: 01 जनवरी, 2026 की संशोधित साझेदारीनामा के अनुसार श्री ध्रुव कुमार एवं श्रीमती रेनू शर्मा साझेदार है।

एतद्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

ध्रुव कुमार,
साझेदार,
M/s BASANT SERVICE STATION,
Anoopshahr Road Near I.P College,
Campus 1, District Bulandshahr U.P.

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स पूजा मेटल, पता:-डी-19ए, इंडस्ट्रियल एस्टेट, हरथला, कांठ रोड, मुरादाबाद (यू०पी०) नामक फर्म में दिनांक 12 जनवरी, 2026 को श्री धवल कपूर पुत्र स्व० दिनेश कपूर रिटायर हो गये हैं तथा दिनांक 12 जनवरी, 2026 को श्रीमती गुंजन कपूर पत्नी श्री अमित कपूर शामिल हो गयी हैं तथा रिटायर्ड पार्टनर की उक्त फर्म पर किसी भी प्रकार की कोई देनदारी या लेनदारी बकाया नहीं है, तथा अब वर्तमान में दो पार्टनर श्री अमित कपूर व श्रीमती गुंजन कपूर हो गये हैं।

अमित कपूर,
पार्टनर,
फर्म मेसर्स पूजा मेटल,
पता:-डी-19ए, इंडस्ट्रियल एस्टेट, हरथला,
कांठ रोड, मुरादाबाद (यू०पी०)।

सूचना

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि मेसर्स-गणेशदास रामगोपाल, हलवासिया कोर्ट हजरतगंज जिला-लखनऊ की साझेदारी फर्म 1932 साझेदारी अधिनियम के अन्तर्गत लखनऊ से पंजीकृत है फर्म में तीन साझेदार श्री उमाशंकर हलवासिया, जी० डी० आर०जी० एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड के आथोराइज सिगनेटरी श्री विवेक वर्मा एवं सम्बद्ध एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड के आथोराइज सिगनेटरी श्री विवेक सिंह थे जिसमें दिनांक 12 जनवरी, 2026 से फर्म के एक साझेदार क्रमशः श्री उमाशंकर हलवासिया आपसी सहमति से फर्म की साझेदारी से स्वेच्छापूर्वक फर्म की साझेदारी से निकल गये हैं। वर्तमान में जी० डी० आर० जी० एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड के अथराइज सिगनेटरी श्री विवेक वर्मा, एवं सम्बद्ध एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड के आथोराइज सिगनेटरी श्री विवेक सिंह साझेदार है।

जी०डी०आर०जी० एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड,
के आथोराइज सिगनेटरी,
विवेक वर्मा
साझेदार,
मेसर्स-गणेशदास रामगोपाल,
हलवासिया कोर्ट हजरतगंज जिला-लखनऊ।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम रुद्र सोनकर पुत्र सुरेश चन्द्र हैं जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है, त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं०-9012 4320 7059 में उसका नाम कामता प्रसाद अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम रुद्र सोनकर पुत्र सुरेश चन्द्र के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

सुरेश चन्द्र पुत्र स्व० अमृत लाल,
नि०- ककरम धरवारा करछना,
प्रयागराज।